

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक जो दिनांक 15-10-76 को पचाह्न 11.00 बजे विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित 6- जगदीश चन्द्र जोस मार्ग पर हुई, का कार्यवृत्त  
x=x=x=x=x=x=x=x=x

उपस्थित

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1- | श्री वीरेन्द्र देव व्यास | आयुक्त, लखानऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखानऊ-विकास प्राधिकरण ।          |
| 2- | श्री जे०कल्याणकृष्णन     | आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखानऊ ।                   |
| 3- | श्री वी०एस०कटारा         | आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्वीयत शासन विभाग, लखानऊ । |
| 4- | श्री एस०वी०एस०देसी       | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग, लखानऊ ।            |
| 5- | श्री आर०सी०टकर           | जिलाधिकारी, लखानऊ ।   |
| 6- | श्री ओ०पी०विश्वनोई       | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम लखानऊ ।                 |
| 7- | श्री जयन्ती प्रसाद दुवे  | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखानऊ ।                           |
| 8- | श्री आर०आर०शाह           | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण ।                            |

अन्य उपस्थिति:

- |    |                           |                                 |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| 1- | श्री रमेश नारायण त्रिवेदी | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण     |
| 2- | श्री एस०पी०गुप्ता         | मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण |
| 3- | श्री के०पी०सिंह           | वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक     |

=====

विकास प्राधिकरण की बैठक में सबसे पहले दिनांक 15-6-76 की बैठक का कार्य-वृत्त पुरिष्ठ हेतु उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया । उपाध्यक्ष ने यह बताया कि कार्य-वृत्त की मद सं०-12 में यह लिखा गया है कि राज्य कर्मचारियों को आवासीय भूखण्ड के आवन्तन में सिद्धान्ततः 50 प्रतिशत रियायत दी जाय और शासन रियायत वाली धानराशि विकास प्राधिकरण को रिडम्बर्स कर दे । उपाध्यक्ष ने कहा कि मुझे भालीभाति याद पड़ता है कि विकास प्राधिकरण में निर्णय यह हुआ था कि एक उप-समिति गठित कर ली जाय जो इस विषय के समस्त पहलुओं पर विचार कर ले तत्पश्चात ही उसकी संस्तुति पर विकास प्राधिकरण निर्णय ले । उप-समिति हेतु निम्नांकित सदस्य मनोनीत हुए थे :-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वित्त विभाग, मनोनीत सदस्य,
- 2- उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०लखानऊ ।

उपाध्यक्ष के उक्त कथान की पुरिष्ठ बैठक में उपस्थित श्री जयन्ती प्रसाद-दुवे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा श्री आर०सी०टकर जिलाधिकारी लखानऊ ने की । अतः अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि निम्न संशोधन के साथ पिउली कार्य-वृत्त की पुरिष्ठ की जाती है । मद सं०:12 में राजकीय कर्मचारियों को भूमि रियायती दर पर देने के विषय में समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिये एक उप-समिति का गठन किया गया जिसमें आयुक्त एवं वित्त सचिव, मुख्य नगर नियोजक और उपाध्यक्ष पूर्ण विचारोपरान्त अपनी संस्तुति प्राधिकरण के सामने रखेंगे ।

उक्त बैठक के कार्यवृत्त के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा प्रकाश डाला गया । उन्होने बताया कि बजट सम्बन्धी उप-समिति की आख्या प्राप्त हो गई है जो कि प्रस्तुत की जा रही है । चौक क्षेत्र के स्टैडियम के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी शासन से प्राप्त हो गयी है जिसे शीघ्र ही विकास प्राधिकरण की 22-11-76 की बैठक में गठित उपसमिति के समक्ष रखा जाएगा । आल इन्डिया वीमेन्स कन्फ्रेंस को गत बैठक के निर्णयानुसार भूमि आवंटित हो गयी है । चेतना स्कूल को स्कूल निर्माणार्थ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार शासन से चल रहा है । विजय हाउसिंग कॉर्पोरेशन और अध्यक्ष अल्प वेतन गृह निर्माण समिति को विकास प्राधिकरण के निर्णय से अवगत करा दिया गया है । शोशापुर कसैला में प्रस्तावित अर्जनीय भूमि हेतु कलेक्टर लखनऊ को भूमि अध्याप्त हेतु अधिनियम की धारा 4, 6 और 17 के विज्ञापन एवं आदेश जारी करने हेतु भोज दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय ने दिनांक 15-6-76 की विकास प्राधिकरण की बैठक द्वारा गठित उप-समिति का प्रतिवेदन बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया । विकास प्राधिकरण के बैठक के समक्ष दिनांक 15-6-76 को अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया भाषण तथा वर्ष 1976-77 के बजट की मुख्य बातें और बजट सम्बन्धी उप-समिति की दिनांक 19-6-76 की बैठक का कार्यवृत्त भी उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि इस उपसमिति ने अपनी बैठक में सात विन्दुओं पर विचार किया है । इसपर निवास सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ने पूछा कि उपाध्यक्ष पहले यह स्वयं बतायें कि क्या उप-समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों से विकास प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों पर कोई कठिनाई होगी तथा क्या वे इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं । उपाध्यक्ष ने उप-समिति द्वारा तैयार किये गये निर्णयों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया । उन्होने बताया कि उप-समिति ने अनुशांसा की है कि वित्तीय वर्ष 1976-77 द्वारा बजट में डिवेन्चर्स अथवा बैंक-लॉन्स द्वारा उतने ही आय का प्राविधान किया जाय जितने कार्य की गतवर्ष के कार्य को देखाते हुए आशा की जाय और जिसका उपयोग सम्भाव हो । इस पर श्री वी०एस०कटारा, आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन ने पूछा कि वास्तविक ऋण बजट के अनुसार लिया जायेगा अथवा वास्तविक कार्य के अनुसार ? उपाध्यक्ष ने इसपर बताया कि बजट की स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार ही माँगी जा रही है परन्तु डिवेन्चर्स के अतिरिक्त ऋण उतना ही लिया जायेगा जितना कि आवश्यक होगा । उपाध्यक्ष ने बताया कि ऋण दो प्रकार का है - एक तो "Without Strings " जैसे "Seed-Capital" के लिये शासन द्वारा दिया गया या दस वर्ष के डिवेन्चर्स जिसमें तत्काल रिपेमेन्ट नहीं करना है । इनमें तो यदि कार्य में प्रारम्भिक धोड़ा विलम्ब भी हो तो भी ले लेना चाहिये क्योंकि यह नित्य प्रति प्राप्त नहीं हो सकता ।

दूसरे ऋण होते हैं- " Project-Oriented " । उनमें उतना ही ऋण लिया जायेगा जितना वर्ष में कार्यों पर खर्च किया जा सके जैसे हज़रतगंज कॉम्प्लेक्स के लिये पूर्ण स्वीकृत ऋण 95 लाख रुपये का है पर इस वर्ष केवल

40 लाख ही लिया जायेगा । डिबेन्चर्स लिये जाने के सम्बन्ध में श्री वी०एल० कटारा, आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, ने यह कहा कि डिबेन्चर्स के ऊपर फौरन ब्याज लगने लगता है अतएव डिबेन्चर्स को लेना और काम शुरू होने के बीच में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये । निवास सचिव श्री जे०कल्याण-कृष्णन च्दारा डिबेन्चर्स जल्दी ही प्राप्त करने के लिये कहा गया क्योंकि उनके विचार से बाजार में मनी कन्डीशन बदल सकती है और हो सकता है कि बैंक आदि डिबेन्चर्स न ले सकें । अतएव निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष श्रीएच० वैको से प्रारम्भिक बात-चीत कर डिबेन्चर्स फ्लोट करने की कार्यवाही करेंगे ।

उप-समिति का दूसरा प्रस्तावित संधोधन यह था कि विकास प्राधिकरण के ऊपर जो 79-00 लाख रुपया का अचुकित ऋण प्राप्त हुआ है उसका 10 वर्ष के अन्दर रि-फाइन्सिंग करने के लिये शासन से अनुरोध किया जाय । विशेष सचिव, वित्त विभाग ने इस पर कहा कि 10 वर्ष की जगह यह अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिये । अध्यक्ष विकास प्राधिकरण तथा सचिव, निवास विभाग ने असहमति पकट की और कहा कि यह पुरानी अचुकित धनराशि है जिसे चुकता करने का यही प्रयास सराहनीय है । श्री विष्णोई ने कहा कि 10 वर्ष की अवधि बहुत ही उचित मालूम पडती है । अन्त में सर्व-समिति से उपसमिति के इस संधोधन को स्वीकार किया गया ।

उप-समिति की तीसरी संस्तुति स्टैफ़ के सम्बन्ध में ३ पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष ने बताया कि उप-समिति ने मूल प्रस्तावना पर निम्नांकित संधोधन करते हुए दो हाउसिंग डिवीजन तथा एक लैण्ड एक्वीज़ीशन ऐण्ड डेवलपमेन्ट डिवीजन की स्वीकृति की संस्तुति की है :-

आवास डिवीज़न  
=====

क्रम सं०	पद नाम	मूल प्रस्तावना	अनुशांसा
1-	अधिशासी अभियन्ता	1	1
2-	सहायक अभियन्ता	4	3
3-	अवर अभियन्ता	16	12
4-	प्रधान लिपिक	1	1
5-	प्रथम-श्रेणी लिपिक	2	2
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	2
7-	टैकण लिपिक	1	1
8-	आशुलिपिक	1	1
9-	सर्वेयर	-	1
10-	चररासी	5	3

भूमि अर्जन एवं विकास खण्ड

1-	अधिशासी अभियन्ता	1	1 पद
2-	सहायक अभियन्ता	4	3 पद
3-	अवर अभियन्ता	16	12 पद
4-	प्रधान लिपिक	1	1 पद
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	2 पद
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	2 पद
7-	टैकण लिपिक	1	1 पद
8-	आशुलिपिक	1	1
9-	सर्वेयर	-	1
10-	चररासी	4	3 पद

कार्या-1  
अईसी-1  
योजना-1

श्री विश्वमोर्ड ने कहा एक सर्वेयर के पद की क्या आवश्यकता है। इस पर तो एक अवर अभियन्ता काम कर सकता है। इस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि यह बात पूर्णतया अव्यवहारिक है क्योंकि कोई भी अवर अभियन्ता सर्वेयर के पद पर काम करते समय यह समझेगा कि उसे झण्ड दिया गया है। श्री कल्याण कृष्णन ने कहा कि एक अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ 4 सहायक अभियन्ता और प्रत्येक सहायक अभियन्ता के अधीनस्थ 4 अवर अभियन्ता होने पर ही ही एक अधिशासी अभियन्ता द्वारा पूरा कार्य किया जा सकता है। अतएव मूल प्रस्तावना ही स्वीकार की जानी चाहिए। श्री विश्वमोर्ड ने कहा कि अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ 5 सहायक अभियन्ता तक की आवश्यकता हो सकती है और तीन का कोई औचित्य नहीं है। उपाध्यक्ष ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में 60-00 लाख रुपये के भवन-निर्माण के कार्य पर एक डिवीजन लगता है। उस हिसाब से विकास प्राधिकरण को 4 हाउसिंग डिवीजन की और 4 भूमि अर्जन एवं विकास खण्ड की आवश्यकता हो सकती है। स्वायत्त शासन सचिव ने कहा कि विकास प्राधिकरण में पी0डब्लू0डी0 का मानक नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ का कार्य दूर दूर फैला हुआ रहता है जबकि यहाँ एकही स्थान पर कार्य हो रहा है। अतः एक हाउसिंग डिवीजन 75-00 लाख और डेवलपमेंट डिवीजन 60 लाख का कार्य कर सकता है और इसीमानक के आधार पर विकास-प्राधिकरण में नये डिवीजन लेने चाहिए। विवास सचिव ने कहा कि इस समय कोई नाम न फिक्स किया जाय और एडवाक बैसिस पर यहाँ जैसे-जैसे कार्य बढ़ता जाय वैसे वैसे नये हाउसिंग डिवीजन तथा लैण्ड एक्वीजीशन तथा डेवलपमेंट डिवीजन के पदों का सृजन किया जाय और उनके कार्य की समीक्षा करते हुए आवश्यकता व उपयोगिता के आधार पर इसे आगे चालू रहने दिया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि मूल प्रस्तावना के अनुसार ही एक अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ 4 सहायक अभियन्ता तथा 16 अवर अभियन्ता तथा अन्य पदों का सृजन किया जायें। सर्वेयर और चपरासी के पद उप-समिति के अनुशंसानुसार ही रखें जायें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव है। विशेषज्ञ सचिव, धित्त विभाग ने कहा कि 4 सहायक अभियन्ता तथा तीन सहायक अभियन्ता होने में कार्य पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। इस पर जल निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री विश्वमोर्ड ने असहमति प्रकट की।

अंत में सर्वसम्मति से यह निश्चय लिया गया कि हाउसिंग डिवीजन तथा लैण्ड एक्वीजीशन डिवीजन के क्रमशः दो तथा एक डिवीजन उपाध्यक्ष की मूल प्रस्तावना के अनुसार पदों का सृजन सिवाय सर्वेयर तथा चपरासी के स्वीकृत किया जाय। केवल सर्वेयर और चपरासियों के पद उप-समिति के प्रस्तावना के अनुसार ही सृजित कियें जायें।

उप-समिति की चौथी संस्तुति फर्नीचर के बारे में अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मूल प्रस्तावना में रु० 2, 33, 643-80 पैके के विरुद्ध रु० 74, 638-72 के फर्नीचर खरीदे जाने की अनुशंसा की है। उप-समिति ने छोड़े के स्थान पर लकड़ी के फर्नीचर क्रय करने की संस्तुति की है। श्री कल्याण कृष्णन, निवास सचिव, ने कहा कि लकड़ी के फर्नीचर भारी होते हैं और

उत्तमें जल्दी कीड़े लग सकते हैं। श्री कटारा ने कहा कि लकड़ी के फर्निचर सरलता से मैनटेन नहीं किये जा सकते हैं। श्री टैसी ने कहा कि कुर्सियाँ आदि तो लकड़ी की अच्छी रहेंगी परन्तु अलमारीआदि लोहे की ही अच्छी रहेंगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि लोहे की अलमारियों में महत्वपूर्ण कागजात रखे जा सकते हैं अन्यथा उनकी सुरक्षा संदेहास्पद रहती है। श्री टकरु ने कहा कि सभी लोहे की अलमारियाँ मंहगी नहीं आती बल्कि देखा जाय तो लम्बे अर्से के लिये लोहे की अलमारियाँ अच्छी रहती हैं और सस्ती पड़ती हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक दशा में लकड़ी की अपेक्षा लोहे की अलमारी क्रय करना ही ज्यादा उचित प्रतीत होता है। उपाध्यक्ष ने कहा कि जितना फर्निचर उप-समिति द्वारा संस्तुत किया गया है, उससे उनका काम नहीं चल सकेगा क्योंकि हजारों की संख्या में नलूल एवं ट्रस्ट विभागों की पत्रावलियाँ अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके पास अलमारियाँ नहीं है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि फर्निचर की मद में मूल बजट पर 25 प्रतिशत कटौती कर पार कर दिया जाय और इस विषय में उप-समिति की संस्तुतियों को निरस्त समझा जाय। उप-समिति द्वारा प्रस्तावित अन्य मदों की कटौतियों को स्वीकार किया गया। साथ ही जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर प्राधिकरण कार्यालय में एक कुलर का प्राविधान बजट में शामिल किया गया। उपरोक्त संशोधनों के साथ उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित मूल बजट 1976-77 विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया।

उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि पिछली बैठक दिनांक 2.3.1976 में विकास प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नियोजन अनुभाग के पदों के सृजन के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अनुशंसा के आधार पर पद सृजन की प्रस्तावना अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित की जाये। उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय नियोजन अनुभाग के निम्नलिखित पदों के सृजन की अनुमति दे दी है:-

क्रमांक	पद-नाम	पदों की संख्या
1 -	आर्कीटेक्चर प्लानर	एक
2 -	एक्जीक्यूटिव आ फिसर §आर०वी०ओ० आर्चीटेक्ट§	एक
3 -	सहायक नगर नियोजक	दो
4 -	असिस्टेन्ट आर्चीटेक्चर	तीन
5 -	लैण्ड स्केप आर्चीटेक्चर	एक
6 -	सिस्तर्य आ फिसर	एक
7 -	स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्ट	एक
8 -	आर्च-कम-प्लानिंग असिस्टेन्ट	चार
9 -	ड्राफ्ट्समैन §ग्रेड प्रथम§	पांच
10 -	फिजीकल सर्वे असिस्टेन्ट	दो

11 - सोशल सर्वे असिस्टेन्ट	दो
12 - वैयक्तिक सहायक	एक
13 - ड्राफ्ट्समैन ग्रेड द्वितीय	पांच
14 - आगुलिपिक	एक
15 - क्लर्क-कम-टाईपिस्ट	दस
16 - ट्रेसर	चार
17 - नील मुद्रक	तीन
18 - मैप एवं रिपोर्ट प्रिन्टर	एक
19 - ड्राईवर	दो
20 - नोटिस सर्वेयर	चार

चौवन पद

उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण में बढ़ रहे कार्यों के लिए नये अभियन्त्रण डिवीजन हेतु पदों के सृजन के संबंध में उप-समिति द्वारा एक स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया और दो हाउसिंग डिवीजनों एवं एक लैण्ड स्क्वी-जीशन तथा डेवलपमेन्ट डिवीजन की स्थापना की संस्तुति की गयी है। मद संख्या -4-व में विरहित पदों के सृजन के संबंध में कार्यवाही की मद संख्या - 3 पर विचार करते समय इस पर निर्णय ले लिया गया है। इस प्रकार कुल 2 हाउसिंग व 1 लैण्ड डेवलपमेन्ट डिवीजनों का सृजन मद संख्या 3 पर लिए गए निर्णय अनुस्मार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की कानपुर-रोड नगर प्रसार योजना के सम्पादन हेतु उप-समिति द्वारा एक लैंड स्क्वीजीशन यूनिट के पदों के सृजन की संस्तुति की गई जो निम्न प्रकार है:-

7

1 - विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	1
2 - रीडर कम अहलमद	1
3 - अहलमद	4
4 - लिपिक	2
5 - अमीन	7
6 - चैनमैन	7
7 - प्रासेस सर्वेयर	3
8 - कार्यालय चपरासी	2
9 - अर्दली चपरासी	1
10 - वाटर मैन कम चौकीदार	1

सर्वसम्मति से उपसमिति की इस अनुशंता को स्वीकार किया गया ।

उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण में कई लिपिकीय पदों की आवश्यकता है क्योंकि इसमें केन्द्रीय अधिष्ठान, विधि विभाग का सर्पोटिंग स्टाफ, उपाध्यक्ष, सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा मुख्य अभियन्ता और वरिष्ठ नगर नियोजक आदि के कार्यालयों के लिये भी लिपिकीय पदों की आवश्यकता है। श्री टैली ने कहा कि यह आवश्यकता केन्द्रीय अधिष्ठान के कार्यालय में अवगण होनी चाहिए परन्तु प्रत्येक अधिकारी के सचिवालय अलग से नहीं होने चाहिए।

श्री कल्याण कृष्ण ने कहा कि केन्द्रीय अधिष्ठान के सम्बन्ध जिने पदों की आवश्यकता हो उसे उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में स्वयं अध्ययन कर पुनः प्रस्तुत करें और विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध लिपिकीय पद स्वीकृत कर दिये जायें। विधि विभाग में लिपिकीय पदों की आवश्यकता के बारे में जिने एक स्टेनॉ तथा प्रथमश्रेणी लिपिक तथा एक एक द्वितीय श्रेणी लिपिक का पद सृजित कर लिया गया।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, के आशुलिपिक को 300-8-324-8-360-ई0बी0-10-440-ई0बी0-12-500 का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विशेष सचिव, वित्त विभाग, श्री द्वैती ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत शीघ्र विवाद उठता है अतएव नियमानुसार दैय वेतनमान में ही नियुक्ति होनी चाहिये। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि उपाध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक का पद पहले से ही सृजित है परन्तु वर्तमान समय में जो व्यक्ति उपाध्यक्ष के आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहा है, उसकी नियुक्ति वैयक्तिक सहायक के पद पर करने में कुछ औपचारिक कठिनाइयाँ हैं। इस पर श्री कल्याण कृष्ण ने कहा कि कानपुर और बनारस के उपाध्यक्षों के आशुलिपिकों के जो वेतन-मान हों वे यदि यही हैं तो या इससे अधिक हैं तो इस वेतनमान में पद की सृजन में कोई दिक्कत नहीं होगी और विकास प्राधिकरण की उसे सम्मति प्राप्त होगी। अतः इन बातों के संबंध में सूचना प्राप्त करके कि उक्त स्थानों पर वेतन क्या है, लखनऊ विकास प्राधिकरण में उक्त पद को सृजित किया जाय और यदि उक्त स्थानों पर वेतन मान कम है तो उक्त विषय उपाध्यक्ष आगामी बैठक में पुनः रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि मुख्य सचिव के मैमो संख्या 6442-ए/11-4, दिनांक नवम्बर 11, 1975 के अन्तर्गत दौहरी शारदा कैनाल, आलमबाग से त्रिलोक नाथ रोड क्रासिंग, हजरत गंज सिटी एक्सप्रेस हाईवे के भवनों के अग्रभाग में कलर-स्क्रीम की तिथिवार योजना बना दी गयी है। यह तिथिवार योजना लखनऊ नगर के लिए सौन्दर्यीकरण हेतु हाईपावर कमेटी द्वारा बनाई गयी है जिसके अनुसार दिनांक 26-1-77 तक यह कार्य पूर्ण हो जाना है। उपाध्यक्ष ने उक्त योजना के तीनों भागों का विस्तृत आगमन बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	विवरण	व्यय अनुमान की धराराशि
1 -	त्रिलोक नाथ रोड क्रासिंग से कान्य-कुब्ज कालेज तक	— ₹0 3, 94, 670/=
2 -	कान्य-कुब्ज कालेज से मवैया तक	— ₹0 3, 66, 300/=
3 -	मवैया से प्रंगार नगर शारदा कैनाल तक	— ₹0 3, 48, 690/=

उपाध्यक्ष ने बताया कि उक्त तीनों व्यय अनुमान की लागत प्रथक-प्रथक रु० 10-00 से कम है जिससे विकास प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता सामान्यतया नहीं है परन्तु फिर भी चूंकि अमीनाबाद की कलर स्कीम के दरों के बारे में तत्कालीन अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, को वहाँ के मॅजिस्ट्रेट एमोसियेशन द्वारा दिया गया था। और जिसके बारे में उन्होंने अपने पत्रांक 4083/21-एम-11/75-76/13 एल०एल० जी०/दिनांक 10.5.76 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त प्रतिवेदन में दिये गये पहलुओं पर विचार करने के बाद दरों के बाबत उचित निर्णय लेने को कहा था अतएव उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन दरों की उचित तकनीकी जाँच हेतु शासन को मामला संदर्भित कर दिया है। उपाध्यक्ष द्वारा बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय का उक्त पत्र भी रखा गया। इस पर आयुक्त एवं सचिव, निवास, श्री कल्याण कृष्ण ने कहा कि इन मामलों में शासन को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। विकास प्राधिकरण स्वयं ऐसे मामलों में निर्णय लेने में सक्षम है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायती अथवा कोई अन्य विवादास्पद मामला आये तो उसे पहले विकास प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए था। विकास प्राधिकरण में तकनीकी सदस्य भी है जिनकी राय ऐसे मामलों में ली जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने आयुक्त एवं सचिव, निवास, के इन विचारों से सहमति प्रकट की और निर्णय हुआ कि शासन को सूचित कर दिया जाय कि यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष आ गया है अतएव शासन द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तीनों व्यय अनुमानों के संबंध में सचिव, निवास विभाग ने कहा कि किसी भी दशा में दरें सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्री टैसी ने कहा कि दरें पी०डब्लू०डी० से कम ही होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। श्री विश्वमोई अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल निगम ने भी इस बात पर सहमति प्रकट की। मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, जो बैठक में उपस्थित थे, बताया कि उक्त व्यय अनुमान पी० डब्लू०डी० के सिड्डूल रेट में वर्तमान इंजीनियरिंग स्पेशिअल जोड़कर ही बनाया गया है परन्तु वास्तविक व्यय में बचत का प्रयत्न किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपरोक्त विचार-विमर्श से वे सहमत हैं और इसीके अनुसार मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेंगे कि पी० डब्लू०डी० की दरों से कम दरों पर कलर-स्कीम का कार्य सम्पादित कराया जाय।

श्री टैसी ने कलर-स्कीम के बारे में सुझाव दिया कि जिस प्रकार से जयपुर से सारे शहर में एकही कलर-स्कीम अपनायी गयी है उसी प्रकार पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ पर भी एक ही कलर स्कीम अपनाई जाये। जिलाधिकारी, लखनऊ ने कहा कि एक ही कलर स्कीम का प्रयोग करने से नीरसता आ जायेगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ नगर के तौन्दर्वीकरण हेतु गठित हाई पावर कमेटी ने इस सड़क के तीनों मार्गों में मुख्य रंग आइवरी लेते हुए अन्य उपयुक्त पैस्टेल रंगों के साथ लगाने को कहा है। श्री कल्याण कृष्ण ने कहा कि गाढ़े रंगों का प्रयोग न किया जाय क्योंकि ये रात में सड़क को अंधकारमय बना देते हैं उन्होंने सुझाव दिया कि डल्के रंगों के कई कास्वीनेशन की आइवरी के साथ में प्रयोग किया जाय। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त तीनों भागों में अलग-अलग कलर स्कीम ही रखी जाय जिसमें कि मुख्य रंग

आहवरी या अन्य कोई हल्का रंग ही हो । जिलाधिकारी, लखनऊ ने कहा कि मुख्य रंग के साथ जिन रंगों का प्रयोग किया जाना है, उसका पुनराव उपाध्यक्ष कर लें ।

उपाध्यक्ष द्वारा बैंक को अवगत कराया गया कि हजरतगंज स्थित पुराने डाकखाने के प्रांगण में आधुनिक व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण हेतु सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया से रु० 95.00 लाख का ऋण राज्य सरकार की गारंटी की प्रत्याशा में तथा पुराने डाकखानों की भूमि एवं भवन बन्धाक रखाकर स्वीकृत किया गया है । शासन द्वारा पुराने डाकखाने की नजूल भूमि प्राधिकरण के पक्ष में रु० 1/- वार्षिक टोकेन प्रीमियम पर शासकीय आदेशा संख्या: 1450 न/9-2-458 न/74 दिनांक 29.4.75 द्वारा हस्तांतरित कर दिया है । शासन से इस योजना हेतु बैंक को गारंटी भेजने हेतु बार-बार प्रयास किया गया है जिसके परिणामस्वरूप शासन ने यह सूचित किया है कि जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण यह लिखाकर अन्डरटेकिंग न दे दे कि प्रस्तावित गारंटी के इनवोक करने की स्थिति प्राधिकरण नहीं आने देगा और वह नियमित रूप से नियमित समय पर ऋण का ब्याज सहित भुगतान करती रहेगी, तब तक शासन द्वारा उसे गारंटी देना सम्भव न होगा । उपाध्यक्ष ने बैंक को यह सूचित किया कि चूंकि प्रस्तावित व्यवसायिक केन्द्र का कैश फ्लो इस प्रकार बनाया गया है किराये से ही बैंक से लिया गया ऋण तथा ब्याज का भुगतान पूरा हो जायगा अतएव इस प्रकार की अन्डरटेकिंग शासन को दी जा सकती है। सचिव, निवास विभाग, ने कहा कि यह अन्डर टेकिंग दे दी जाय। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। उपाध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि निर्माण निगम द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश शासन की ही अन्डरटेकिंग है और जिसे शासकीय आदेशानुसार 10.00 लाख से ऊपर के कार्यों में वरीयता देनी है, को इस व्यवसायिक केन्द्र को बनाने का ठेका दे दिया जाय क्योंकि निर्माण निगमको ने इस कार्य को दिसम्बर 77 तक पूरा होने का आश्वासन दिया है और यह संस्था बिना किसी लाभ-हानि के केवल 15 प्रतिशत अडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पर ही काम करती है । सर्वसम्मति से विकास प्राधिकरण के इस व्यवसायिक केन्द्र के निर्माणार्थ उत्तर-प्रदेश निर्माण निगम को ठेका देने का निश्चय किया गया । साथ ही अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधीकृत किया गया कि वे निर्माण निगम से सभी टर्मस तथा कन्डीशन्स फाइनलाइज कर ले और उपाध्यक्ष को अधीकृत किया गया कि विकास प्राधिकरण की ओर से अनुबन्धा हस्ताक्षरित करें ।

उपाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1976-77 में अल्प आय वर्ग के 500 भवन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाने प्रस्तावित हैं । इसके अन्तर्गत पाण्डे का तालाब तथा कर्बला मलका जंजा योजना में हडको की सहायता से प्राप्त करने हेतु बन्वाई गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 288 भवन कर्बला मलका जंजा में तथा 192 भवन पाण्डे का तालाब योजना में निर्मित होना प्रस्तावित हैं । इस योजना के लिये रु० 52-81 लाख का ऋण हडको से लिया जाना प्रस्तावित है । भवन का विक्रय मूल्य लगभग 18,000/- रूपया है। प्रत्येक भवन की निर्माण लागत रु० 30/- प्रति वर्गफुट आती है। श्री विशानोई ने 30/- दर बहुत उचित बताया । यह भवन 60 आतान त्रैमासिक किश्तों पर किया जाना प्रस्तावित हैं जिनमें प्रार्थना-पत्र के साथ रूपया 1000/- प्रथम किश्त के रूप में 4,000/- तदुपरान्त 352/- रूपये की 59 त्रैमासिक किश्त के रूप में प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार 15 वर्षों के उपरान्त

इस योजना से विकास प्राधिकरण को लगभग 15-99 लाख रुपया के लाभ की सम्भावना है। इस योजना हेतु ऋण लेने के लिये शासन की गारन्टी प्राप्त करनी है जिसके लिये उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को विचार करने का अनुरोध किया तथा साथ ही इस योजना की स्वीकृति प्रदान करने को कहा। श्री देसी ने पूछा कि क्या ₹ 18,000/- का मकान लेने वाले इतने लोग मिल जायेंगे। जिलाधिकारी, लखनऊ ने कहा कि आजकल के बड़े हुए किराये को देखते हुये बहुत से लोग इस प्रकार के भवनों को लेने के इच्छुक हैं। इनके विक्रे की किसी प्रकार की तंगाय नहीं है। इसपर उपाध्यक्ष ने कहा कि ऋण की धारणा प्राप्त करने के पूर्व वे इस योजना को विनाशित कर लेंगे जिससे विकास प्राधिकरण को ग्राहकों के धारे में पूरा पता चल जायेगा और तदनुसार ही ऋण प्राप्त किया जायेगा। सचिव, निवास विभाग, ने पूछा कि यह योजना की लागत ₹ 107-73 लाख की है फिर इसमें केवल 52-81 लाख की ऋण ही क्यों मांगा जा रहा है। बैठक में उपस्थित मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण ने बताया कि हडको द्वारा किसी भी योजना की कुल लागत का केवल 80 प्रतिशत धन ही ऋण के रूप दिया जाता है, अतएव इस प्रकार से ही प्रस्तावित ऋण मांगा जा रहा है। अन्त में सर्वसम्मति से इस योजना के निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये विकास प्राधिकरण ने अपना अनुमोदन दे दिया।

इस सम्बन्ध में शासन ने आवश्यक गारन्टी भी भेजे जाने के लिये विकास प्राधिकरण ने सहमति प्रदान कर दी।

उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये 100 उच्च आय वर्गीय तथा 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के निर्माण कराने को कहा है। मध्यम आय वर्गीय भवनों का क्षेत्रफल 1078 वर्गफिट है और निर्माण की लागत 37,000/- है जो लगभग 35/- प्रति वर्गफिट आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज तथा भूमि का मूल्य लेने पर प्रत्येक भवन का मूल्य ₹ 51,000/- होता है। इन भवनों के डिजाइन आदि का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है और कुल लागत में 25 लाख इस माह में और शेष शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है। उन्होंने यह बताया कि भवनों के निर्माणार्थ निविदाये आमन्त्रित कर ली गयी हैं और आशा की जाती है कि निर्माण इस माह के अन्त तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च आय वर्गीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में लगभग 80,000/- प्रति भवन बसाने को कहा है और भवनों का भवन चित्र भी अनुमोदित कर दिया है। इसका प्लान 1644 वर्गफिट है और प्रति वर्गफिट लागत, लगभग 38/- आने की सम्भावना है। इन भवनों का विस्तृत आगणन तैयार किया जा रहा है और निविदाये करके कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा। श्री कल्याण कृष्ण ने इस पर पूछा कि क्या आगणन बनाते समय मूल्य वृद्धि और बीच की अवधि में पड़ने वाला ब्याज का समावेश कर लिया गया है। इस पर बैठक में उपस्थित मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में यह सब बातें आ जाती हैं। श्री कल्याण कृष्ण ने विशेष तौर से पूछा कि क्या ब्याज का समावेश कर लिया गया है अथवा नहीं। इस पर उपाध्यक्ष ने बताया कि कार्य

की समाप्ति तक ठेकेदार को कुल लागत का केवल 80 प्रतिशत धन ही भुगतान हो पाता है जबकि सरकार से इसका भुगतान हो चुका होता है। अतः ब्याज हमारी कास्ट पर नहीं रैफ्लैक्स होता है। इस पर श्री कल्याण कृष्ण ने कहा कि किसी भी दशा में विकास प्राधिकरण को रुकसान न होने देने के लिये कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जाय। जिलाधिकारी, लखनऊ ने कहा कि यह काम 31-3-77 तक पूरा कर दिया जाय। इसका अनुमोदन विकास प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने किया और बैठक में उपस्थित मुख्य अभियन्ता ने आश्वासन दिया कि वे भरसक प्रयत्न करेंगे कि काम शीघ्र पूरा हो जाय। इस पर विकास प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से इस योजना को अनुमोदित किया।

उपाध्यक्ष द्वारा बैठक को बताया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में 250 भवन मध्यम आय वर्ग के निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है। इनमें से 100 भवन राज्य सरकार के लिए बनाये जायेंगे, शेष 100 भवनों का निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त 25 लाख रुपये के ऋण से किया जायेगा। इन भवनों का प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा तैयार किया गया है और प्रत्येक भवन का फ्लिनथ एरिया लगभग 800 वर्गफिट है। इन भवनों की लागत प्रति वर्गफिट 37/= है। इन भवनों के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त करली गयीं हैं और निर्माण कार्य इस माह के अन्त तक आरम्भ कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह विषय विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं स्वीकृतार्थ रखा गया है। श्री विश्वमोह ने इस सम्बन्ध में जानकारी चाही कि मद संख्या - 8 में इन भवनों की लागत 35/= प्रति वर्गफिट आती है, इसका कृपा कारण है। मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, ने बताया कि यह अन्तर इसलिये है कि क्योंकि मद संख्या - 8 में उल्लिखित भवनों में चार मकानों की सीढ़ियाँ एकसमय बनाई जा रही हैं। और जबकि इस मद में केवल दो मकानों के बीच में सीढ़ियाँ एक साथ होंगी। इसके अतिरिक्त कमरों की आकार-प्रकार में भी भिन्नता है। बड़े कमरे के मुकाबले में छोटे कमरों की कास्ट अधिक आती है। इस प्रकार यह भवन जो कि छोटे कमरे वाले हैं और उसमें जीना दो मकानों को ही दिया गया है। अतएव इनकी लागत बढ़ना स्वाभाविक ही था। विकास प्राधिकरण ने मद संख्या -8 की तरह इस कार्य को भी 31-3-1977 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसे अनुमोदित किया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध करते समय 5 प्रतिशत सिक्योरिटी ली जाती है। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि अन्य विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में केवल दो प्रतिशत सिक्योरिटी जमा की जाती है, शेष 3 प्रतिशत चालू दायकों से काट ली जाती है। वर्तमान नियमों के कारण बड़े ठेकेदार निविदा देने में हिचकते हैं। अतः अन्य विकास प्राधिकरणों तथा हाउसिंग बोर्ड में चालू पद्धति को अपनाना उचित होगा। इस पर विशेष सचिव, वित्त विभाग, श्री द्वैसी ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को हाउसिंग बोर्ड में चालू पद्धति अपनानी चाहिये जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विकास प्राधिकरण में शक्तियों के प्रतिनिधायन पर कोई विचार नहीं किया जा सका क्योंकि मद सं० - 4 में लिखे गए निर्णय के अनुसार अब इसकी कोई शीघ्र आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई, अतएव उपाध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया।

अन्त में अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, ने सभी सदस्यों को उपस्थित हेतु धन्यवाद दिया।

हस्ताक्षर/-

§वीरेन्द्र देव व्यास§

आयुक्त

लखनऊ मण्डल, लखनऊ

तथा

अध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण।

आज रखे गये संशोधन के साथ पुडिट की गई।

ह /-

§वीरेन्द्र देव व्यास§

19.2.77


अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण

सबनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक जो दिनांक 15-10-76

11 बजे विकास कार्यालय 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग पर हागो, में  
विचारणीय विषयों की संक्षिप्त कार्य-सूची :-

- : 0 : -

- मद सं० - 1 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-6-76 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
- मद सं० - 2 गत बैठक की कार्यवृत्त के कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धी आख्या पर विचार ।
- मद सं० - 3 गत बैठक दिनांक 15-6-76 द्वारा गठित <sup>उप समिति</sup> की ओर से उपाध्यक्ष के प्रतिवेदन सहित वित्तीय वर्ष 1976-77 के आय-व्ययक अनुमान पर विचार ।
- मद सं० - 4 अधिष्ठान सम्बन्धी आवश्यक पदों का सृजन :-  
(अ) निधोजक अनुभाग - सूचनाएँ  
(ब) अभियन्त्रण प्रभाग - पुष्टिकरण  
(स) लिपिकीय पद - स्वीकृतार्थ !
- मद सं० - 5 राष्ट्रीय मुख्य मार्गों पर रंग-रोगन की योजना पर विचार
- मद सं० - 6 पुराने ढाकखाने में निर्मित व्यापारिक प्रतिष्ठान से सम्बन्धित :  
(क) अपेक्षित ऋण विषयक शासन द्वारा गारन्टी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव ,  
(ख) उपरोक्त कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा कराये जाने पर विचार
- मद सं० - 7 निम्न आय वर्गीय 480 भवनों के, जिनकी कुल लागत ₹ 107-77 लाख है तथा सम्भाव्य ऋण की धनराशि ₹ 52-81 लाख है, हडकी योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु :  
1- ऋण लेने एतदर्थ शासन की गारन्टी प्राप्ति हेतु अधिकृत किया जाना ,  
2- प्रश्नगत योजना की स्वीकृति
- मद सं० - 8 100 उच्च आय वर्गीय तथा 100 मध्यम आय वर्गीय भवनों के निर्माण विषयक मानचित्र, युनिट की लागत मूल्य एवं व्यय अनुमान के सारांश पर विचार ।
- मद सं० - 9 जनता के लिये मध्यम आय वर्गीय 100 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र, युनिट की लागत एवं व्यय अनुमान के सारांश पर विचार !
- मद सं० - 10 निविदा के साथ जमानत को अनुराग के निर्वहण करने पर विचार
- मद सं० - 11 शकितियों के प्रतिान्धायन पर विचार
- मद सं० - 12 अध्यक्ष के अनुमति से अन्य कोई विषय



मद सं० - 3 के सम्बन्ध में गठित उप समिति की आज्ञा उपाध्यक्ष के प्रतिवेदन के साथ विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है ।

मद सं० - 7 चौक क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय आवश्यक बिन्दुओं पर संसद बैठक में जानकारी प्राप्त करने की निर्देशित किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न हैं ।

मद सं० - 8 आज इन्डिया वीमेन्स कॉम्प्लेक्स को गत बैठक के निर्णयानुसार भूमि आवंटित हो गयी है तथा संस्था ने प्रीमियम की धनराशि जमा करके भूदान का विध्वन भी करा लिया है ।


मद सं० - 9 चेतना स्कूल को मेन्टली रिटार्ड चिल्ड्रन हेतु स रीजेडेन्सियल स्कूल के निर्माण के लिये <sup>पुष्टि</sup> दिये जाने के सम्बन्ध में विवास प्राधिकरण द्वारा कुछ सूचनाएँ माँगी गया थी जो संस्था से प्राप्त हो गयी है तथा पुष्टि के लिए उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग - 2 को भेजा गया है जिसका अनुस्मारक भी भेज दिया गया है ।

मद संख्या 10 गत बैठक के निर्णयानुसार अध्यक्ष अल्प वेतन गृह निर्माण समिति की इस विभाग के पत्र संख्या टी/414/9सी दिनांक 2-8-76 द्वारा तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा चुका है ।

मद संख्या 11 प्राधिकरण के निर्णयानुसार अध्यक्ष विजय हाऊसिंग कोर्पोरेशन (गन्नापुरी कालोनी ) को इस विभाग के पत्र संख्या टी/416 ए, सी दिनांक 2-8-76 द्वारा तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा चुका है ।

मद संख्या 12 यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

मद संख्या 14 इस विषय में प्रस्तावित अर्जनीय भूमि हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4, 6 तथा 17 के अन्तर्गत क्लिपन एवं आदेश जारी करने हेतु शासन से आग्रह किया जा चुका है तथा शासन के निर्देशानुसार प्रश्नगत भूमि का विवरण आदि निर्धारित प्रपत्र पर <sup>तैय्य</sup> ~~सूचित~~ सम्बन्धी नक्शा एवं सम्पत्ति सूची कलेक्टर महोदय सबन्धकी शासन से उक्त स्कट की धारा 4, 6 तथा 17 के क्लिपन एवं आदेश जारी करने हेतु भेज दिये गये है तथा इस विषय में शीघ्रता करने की व्यक्तिगत प्रार्थना भी जा रही है ।



विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

परिशिष्ट--

परिशिष्ट(1)

विषय: चीक क्षेत्र में नये ग्रीडिंगन ( स्पोर्ट्स स्टेडियम) का निर्माण के संबंध में ।

उक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक १५-६-७६ में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । उक्त बैठक में यह निश्चय हुआ कि इससे पूर्व के विषय में कोई निर्णय लिया जाय निम्नलिखित विन्दुओं पर आख्या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाय :

- (क) स्पोर्ट्स विभाग द्वारा क्या इस कार्य के लिये बजट आवंटि का प्राविधान किया गया है ।
- (ख) क्या स्पोर्ट्स विभाग को शासन से इस निर्माण के लिये स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ?
- (ग) इस संबंध में स्पोर्ट्स विभाग को न्यूनतम कितनी भूमि की आवश्यकता होगी ।
- (घ) इस स्टेडियम में कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी ?
- (ङ) क्षेत्रीय आधार पर कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी ।
- (च) इस योजना का कुल फाईनेन्सियल आउट लेँ क्या है ?
- (ज) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान बजट सत्र में कितना प्राविधान किया गया है ?
- (झ) इस योजना के पूर्ति हेतु आगामी वर्षों के लिये क्या प्राविधान किया गया है ।

ट- इस स्थल पर किस प्रकार का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ?

ठ- यह निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने की क्या आवश्यकता है । शासन को सार्वजनिक निर्माण विभाग क्यों नहीं कर सकता ।

ड- यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ।

ढ- भूमि के हस्तांतरण की क्या नियम और शर्तें होंगी ?


ण- स्पोर्ट्स विभाग किस आधार पर भूमि चाहता है ?

उपरोक्त विन्दुओं पर विस्तृत आख्या हेतु शासन को पत्र भेजा गया था शासन से प्राप्त उत्तर निम्नलिखित है।

- (क) स्पोर्ट्स विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु बजट का प्राविधान है किन्तु शासन से स्वीकृति अपेक्षित है।
- (ख) भूमि प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- (ग) लगभग ५ एकड़ ।
- (घ) स्टेडियम में फुटबाल, हॉकी, बास्केटबाल, वालीबाल, कुश्ती तथा क्रिकेट आदि खेलों की सुविधा प्रदान की जायेगी ।
- (ङ) घ • में दिये गये सभी खेलों की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- (च) इस योजना का कुल फाईनेन्सियल लेँ आउट नगर महापालिका से उभारना बनाने पर ज्ञात हो सकेगा ।

- (इ) इस वर्ष १९७६-७७) में वी.ए.एन. के निर्माण हेतु रूपया १० लाख का प्राविधान है जिसकी मुख्य मंत्री जी की मौजिब रकीकृति प्राप्त है।
- (ज) बाधाही कुर्सी में लागू २ लाख रूपये की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।
- (क) स्थल पर टायलेंट्स सहित दो चेंबरूम, वाउन्ट्रीवाल तथा दर्शक के बैठने हेतु कुली सीढ़ियों का निर्माण प्रस्तावित है।
- (ट) दिनांक २१/१९७६ को हुई विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रशासन मंडल ने हज्जा व्यक्तों की की निर्माण कार्य विकास प्राधिकरण से कराया जाय।
- (ठ) योजना तीन वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।
- (ड) मुभि स्पॉर्ट्स विभाग के नाम हस्तांतरित होगी तथा खेल खेल के कार्य के लिये ही उपयोग में लयी जायेगी।
- (ढ) एक रूपया प्रति वर्ष के लीज रेंट पर।
- (ण) खेल के वक्ति रक्त अन्य कार्य हेतु स्टैडियम का किया जाना नियमानुसार संभव नहीं होगा।

उक्त स्टैडियम के निर्माण से संबंधित सैन्टज चापेज स्पॉर्ट्स विभाग द्वारा प्राधिकरण को देय न होने, से संबंधित विषय प्राधिकरण के विचाराधी प्रस्तुत है।

  
२१-११-७६  
मुख्य अभियन्ता (विकास)

रूपया विषय को विकास प्राधिकरण की बैठक के विचाराधी प्रस्तुत करें।

मुख्य अभियन्ता

AGENDA ITEM NO. 3: RECOMMENDATION OF THE SUB-COMMITTEE  
CONSTITUTED IN THE LDA MEETING DATED  
15-6-1976 WITH THE PROPOSAL OF THE  
VICE-CHAIRMAN FOR CONSIDERATION OF  
THE BUDGET 1976 - 77.

The budget for the year 1976-77 was presented in the LDA meeting dated 15th June 1976. The Chairman's address and the V.C.'s note detailing salient features of the budget were placed before the Authority. They are being appended at Appendixes A and B for ready reference.

The Authority while passing expenditure on continuing schemes and essential items referred the budget for the scrutiny of a sub-committee consisting of the District Magistrate, Special Secretary Finance and the Vice-Chairman. The points of reference and the recommendation of the sub-committee are contained in the minutes of the sub-committee meeting dated 19th June 1976, which is at Appendix 'C'.

Based on the deliberations of the sub-committee it is proposed that —

THE PROPOSED BUDGET FOR THE YEAR 1976 - 77 BE ADOPTED BY THE LDA,  
WITH THE FOLLOWING MODIFICATIONS:-

- (i) - Page 13, item no. 1 ka(2) - Against the loan liability of Rs. 79.00 lacs inherited by LDA while the provision has been made for repayment of the current instalments ( i.e. Rs. 5.17 lacs principal and Rs. 8.83 lacs interest). This provision should be doubled to include repayment of one year's defaulted instalment.
- (ii) - The provisions for Land Acquisition and Housing Divisions made in the budget should be modified and the following staffing pattern should be followed for each standard engineering division:-

-----Continued on page 2..

( 2 )

FOR EACH DIVISION

Sl.No.	Name of Post	Original proposal	Modified Proposal
1.	Executive Engineer	1	1
2.	Assistant Engineer	4	3
3.	Junior Engineer	16	12
4.	Head Clerk	1	1
5.	Grade I Clerks	2	2
6.	Grade II Clerks	2	2
7.	Typist	1	1
8.	Steno	1	1
9.	Surveyor	1	1
10.	Peons	5	3

(i.e. office peon, Orderly, Chokidar)

(iii) - Provisions relating to furniture may be slashed down on pages 12, 13 & 14 (items 1 (ka-1); 1 (3), & ka 27 as follows:-

Sl. No.	Name of Department.	Item No.	Original Proposal	Modified Proposal	Saving
1.	General Administration & Planning.	Item no. 1-ka 2/3	Rs. 1,50,100.00	Rs. 29,875/00	Rs. 1,00,115.00
2.	Library	Item 1-ka 1/6	Rs. 8,643.80	Rs. 6,312/02	Rs. 2,331.78
3.	Land Acquisition & Development	Item 3 ka 27	Rs. 75,000.00	Rs. 18,450/85	Rs. 56,546.15

Continued on page 3...

(iv) - Provision of contingent expenditure on page 13 of original budget, explained on page 27 should be modified as follows:-

Sl. No.	Item	Original Proposal	Modified Proposal
1.	Furniture	Rs. 1,50,000.00	Rs. 49,875/00
2.	Water Tax etc.	Rs. 1,25,000.00	Rs.1,25,000/00
3.	House Building & Conveyance Advance to employees	Rs. 1,25,000.00	Rs.1,25,000/00
4.	Stationary	Rs. 50,000.00	Rs. 40,000/00
5.	Printing	Rs. 10,000.00	Rs. 9,000/00
6.	Publicity Dues	Rs. 50,000.00	Rs. 25,000/00
7.	Liveries for class iv staff	Rs. 10,000.00	Rs. 8,000/00
8.	Water Cooler in LDA Office	Rs. Nil	Rs. 10,000/00
9.	Refunds	Rs. 75,000.00	Rs. 75,000/00
10.	Telephones	Rs. 5,000.00	Rs. 5,000/00
11.	Electricity	Rs. 5,000.00	Rs. 5,000/00
12.	Rent	Rs. 5,000.00	Rs. 5,000/00
13.	P.F. drawals	Rs. 50,000.00	Rs. 50,000/00
14.	Legal charges	Rs. 15,000.00	Rs. 15,000/00
15.	Miscellaneous	Rs. 50,000.00	Rs. 30,000/00
TOTAL		Rs. 7,25,000.00	Rs.5,76,875/00

(v) - As regards the budget provisions relating to LDA Library page 12, item 1 ka (vi), the proposed provision of Rs. 50,000/00 should be modified to Rs. 21,500/00 (i.e. Rs.15,000/00 for books and Rs. 6,500/00 for furniture).

With the above modifications based on the budget sub-committee decisions the budget may be passed.

Page 2  
 12/1/76  
 ( S. S. Singh )  
 Vice-Chairman.

BUDGET : 1976-77.

CHAIRMAN'S ADDRESS

Gentlemen,

I have great pleasure in welcoming you to the second Budget Meeting of the Lucknow Development Authority, after the conclusion of the first complete financial year (the Authority was formed on September 13, 1974).

2. For the Authority the year 1975-76 has been a year of 'Search for identity' as one may call it. For identification of the role it has to play and the tasks it has to perform, an "Integrated Urban Development Plan" has been prepared for the quinquennium 1976-81 in collaboration with the Town and Country Planning Department. This Plan has been adopted by the Authority and is under submission to the Government of India, Ministry of Works and Housing, for provision of requisite finances.

3. Under the Integrated Urban Development Plan, the Authority has to carryout a wide spectrum of functions viz, Housing (Rs. 170 million), Construction of Commercial Complexes (Rs. 78 million), Slum Clearance (Rs. 175 million), Environmental and Ecological Improvement (Rs. 17.6 million) and Land Acquisition, Development & Disposal (Rs. 564.6 million).

4. In physical terms, the Integrated City Development envisages a fairly ambitious Housing Programme consisting of

- a) Construction of 17,000 tenements for slum dwellers, 5000 houses for the EMS, 2000 IIG houses, 750 MIG houses and 250 HIG houses and
- b) Development of 25,000 plots and 8750 sites with services.

Construction of Commercial Complexes at Hazratganj, Nakhas, Latouche Road, Railway Cinders Dump Alambagh, Chitwapur and also execution of other decongestion schemes viz Transport Nagar, Timber Nagar, Sarda

.....Contd....

Mandi and Cattle Colonies is also contemplated. The Plan entails Land Acquisition & Development on a fairly large scale.

5. If the Authority is to carryout such an ambitious programme in the short span of 5 years, an organization with a "dynamic culture" where "result orientation" takes precedence over "rule orientation" and supporting financial resources are a must.

6. For revamping the organization to subserve this end, the Hyderabad Administrative Staff College were commissioned by the Authority to carryout studies on the "Organisation Structure" & Managerial Man Power Planning and Performance Budgeting of the Authority. These studies have been completed and the Staff College reports are presently under consideration of the Authority.

7. For resource mobilisation during the first few years the Authority will have to depend upon market borrowings from financial institutions till the assets created by the Authority with market borrowing start generating surpluses and thus helps the Authority build up its own Revolving Fund. The Authority has during the year 1975 - 76 successfully negotiated a loan of Rs. 54 lakhs from HUDCO besides the first loan from a Commercial Bank. This is a loan of Rs. 95 lacs obtained from the Central Bank of India for financing the construction of the Hazretganj Commercial Complex. This has been the pace setter for harnessing Bank loans for Urban development in Lucknow. Negotiations with other nationalised Banks in respect of the Latouche Road Scheme and Nakahas Scheme have reached an advanced stage. The initial response of the Banks for participation in unguaranteed debentures to be floated by the Authority has been encouraging.

8. Another important achievement of the year 1975 - 76 is the fact that in its very first year of operation the Authority has been able to achieve almost all its budget estimates under various heads of income. On the income-side, the highlights are follows :-

.....Contd.....2c

- (a) In revenue accounts against an estimated income of Rs. 1.79 crores the actual income has been of the order of Rs. 1.87 crores.
- (b) In Capital accounts against an estimated revenue of Rs. 1.39 crores, the actual income has been Rs. 1.41 crores.
- (c) The actual revenue account revenue income of 1975-76 has been almost 300% of the income in 1974-75, and in case of capital account, the income of 1975-76 is almost 200% of the corresponding income for 1974-75.
- (d) In the case of items like premia on leases, old Hire Purchase, Receipts from Nazul, Income from building section, Sale of Awas Land, Sale/Hire-purchase of Houses etc., the budget estimates have been achieved over 100%.

9. The two items where there have been shortfalls in the budgeted income are :-

- (a) Rent from buildings - against a budget provision of Rs. 14.00 lakhs total recoveries were Rs. 13.05 lacs,
- (b) Sale of Vikas Land - Rs. 48.00 lakhs was budgeted while actual recoveries were only 46.02 thousand.

As regards the former the shortfall is quite nominal (less than 5% of the estimated figure). This year's recovery is, however, about 33% more than the average annual recovery over the last few years. As regards the latter, "stay orders" from courts have been the major obstacle. Nevertheless, the Authority may derive satisfaction from the fact that in April, 1976 five important writs have been decided in favour of the Authority by the Lucknow Bench of the High Court, involving land with an estimated valuation of Rs. 25.00 lakhs.

10. The performance on the expenditure side, however, has not been of the same order as in the case of receipts. There have been major shortfalls resulting in a large closing balance of rupees 1.98 Crores on 31.3.1976. This has been largely due to the fact that the technical staff inherited by the Authority from the erstwhile Mahapalika Vikas Vibhag needs to be considerably reinforced, to enable carrying out satisfactorily future works involving such large outlays.

The budget for 1976-77 seeks to rectify this inadequacy, and a provision has been made for a Planning Wing consisting of Town Planners, Architects etc., (proposed provision is Rs. 6.10 lakhs). Furthermore, budget provision has also been made for creation of a Land Development Division and a Housing Division at a cost of Rs. 2.50 lakhs each. All these provisions are tentative and are subject to the sanction of the ultimate set-up by the competent authority.

11. The highlights of the activities of the Authority on the development side during 1975-76 are as follows :-

- (a) For the first time a colour scheme has been successfully enforced in the case of all non-residential buildings abutting arterial roads. The repairs and painting was carried out by IDA itself and cost was recovered from the occupants of the premises. The scheme has attracted nation wide attention and enquiries have been received from the Bangalore Municipal Corporation and from Bhopal asking for details. The State Government, have also directed the other four Development authorities in the State to carry out similar colour washing programmes in their areas on the Lucknow pattern.
- (b) Two major clearance operations have been carried out for implementation of the Authority's commercial schemes in Old Post Office premises in Hazratganj and the Nakhas area in Chowk.
- (c) HUDCO - Phase II Outlay (Rs. 69.00 lacs) has been nearly completed in record time of one year (consisting of construction of 233 flats for the EWS, 85 flats for LIG, 75 for MIG and 25 for HIG).

12. The outlook for the year 1976-77 in the balance may, therefore, be termed to be one of hope and encouragement. Since the results of 1975-76 have shown that actual income several times that of the previous year can be achieved by accelerating the pace of development and by imagination and prudent commercial management, the income estimates for 1976-77 of the order of Rs. 9.81 crores may not be said to be over ambitious. On the expenditure side also the experience of 1975-76 indicates that given the necessary Organisational and logistic support, IDA can achieve ambitious construction targets.

Contd.....(5)

May I now conclude, gentlemen wishing the LDA a career of meaningful civic performance during the budget year 1976-77, making it a still better instrument for the good of the citizens of Lucknow. I now ask the Vice Chairman to present the budget before the authority and explain its salient features to the members,

June 15, 1976.

sd/- S.K. Sarkar  
15.6.76  
(S.K. Sarkar)  
Chairman,  
Lucknow Development Authority.

RKDixit/-

503  
BUDGET 1976 - 77

SALIENT FEATURES

XXXXXXXXXX

The budget 1976 - 77 is a surplus budget and the closing balance on 31-3-1977 is expected to be Rs. 2.38 lacs. Leaving aside the suspense account which is Rs. 1.981 crores the total outlays on estimated income and expenditure are Rs. 9.81 crores and Rs.9.73 crores respectively.

2. The budget consists of 3 parts viz General Administration, Planning and Development. Each part consists of 3 Accounts viz Revenue Account, Capital Account and Suspense Account. Effort has been made to balance the income & expenditure in each account in each part. Thus:-

(a) The deficit of Rs.4.08 lacs in Revenue Account of General Establishment has been recouped from the Engineering Revenue Account.

(b) The Revenue Account of Planning Part is balanced with no surplus or deficit.

(c) The Engineering Revenue Account has a surplus of Rs. 6.40 lacs after transferring Rs. 2.996 crores to the Engineering Capital Account. The transfer is necessary since almost all commercial income of LDA goes to the Engineering Revenue Account and most of the expenditure ~~that~~ that takes place is of a capital nature and there is booked in Engineering Capital Account.

(d) The Engineering Capital and Suspense Accounts are arithmetically balanced & so are ~~the~~ all other accounts.

3. The budget of LDA 1976 - 77 has been worked out from a "basic works programme for the year '77" which in turn has been derived from the ICDP. The Capital works programme for 1976 - 77 envisages:-

(a) largescale acquisition of land, 200 Acres on Kampur Road, 50 Acres Napier Road, 300 Acres Aliganj and 200 Acres for Misc. Schemes viz Transport Nagar etc.

( Proposed outlay = Rs. 1.85 crores ).

(b) Largescale Development of Land ( Proposed outlay = Rs. 2.30 crores ).

(c) Housing - Construction of 100 HEG, 250 MEG, 500 LG & 1000 EWS houses ( Proposed outlay = Rs. 2.95 crores ).

(d) Construction of Commercial Complexes at Hazratganj, Nakhas, Latouche Road and Chitwapur etc. ( Proposed outlay = Rs. 1.01 crores ).

(e) Slum Clearance & Environmental Improvement.

It is noteworthy that the expenditure on each of the above activities has been sought to be contained within the incomes generated ( including opening balance ) by each activity ( compare page 7 on one side & pages 18 & 19 of the

It is noteworthy that the expenditure on each of the above activities has been sought to be contained within the incomes generated ( including opening balance ) by each activity ( compare page 7 on one side and pages 18 & 19 of the proposed budget on the other). Thus each of the above activities has been made self-generating and economically viable by itself. Thus -

Item of Activity	Sources of Income	Total Est. Inc. Page	OB=Total Page Inc.	Est. Exp. Page
(a)- L. AQ	a. Debentures=60 lacs b. Transferred=80 lacs from Engg. Rev. Acctt	Rs. 1.40 Cr. P 7	0.40 Cr. P. 22	Rs. 1.85 cr P 18
(b)- Land Dev.	(a) Govt. Loan = 20 lacs (b) Debentures = 85 lacs (c) Transferred=125 lacs from Engg. Rev. Acctt.	Rs. 2.30 Cr. P 7	Nil	Rs. 2.30 Cr. P 18
(c)- Housing	(a) Govt. Loan=10 lacs (b) HUDCO Ph. I&II=13.65 lacs (c) HUDCO Ph. III =53.00 lacs (d) HUDCO Ph. IV = 65.00 lacs (e) Transferred from Engg. Cap. Acctt. =93.00 lacs <u>Rs. 2.35 Crores</u>	Rs. 2.35 Cr. P 7	Rs. 0.62 P 22	Rs. 2.95 Cr P 19
(d)- Commercial Complex.	(a) Bank loans=0.75 Cr. (b) Debentures=0.15 Cr.	Rs. 0.90 Cr. P 8	Rs. 0.094 P. 22	Rs. 1.01 Cr P 19

4. While sectoral balances of income and expenditure are common place, a conscious endeavour has also been made to balance the self-earned income with borrowed income. Thus in Engineering Revenue Account the self-earned income is estimated at Rs. 4.26 crores & against this the estimated borrowings ( viz Engineering Capital Account ) are also Rs. 4.26 crores. The ratio of the two is 1:1. In simplification it may be said that for every rupee that it borrows the LDA generates another rupee.



समानु दिवार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-6-76 द्वारा गठित  
उप समिति को बैठक दिनांक 19-6-76 जो अपरान्ह 3-00 बजे हुई  
का कार्यवृत्त ।

-----

उप-स्थित

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1- श्री एच०के० मेहरोत्रा, | विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । |
| 2- श्री राम चन्द्र टकर,   | जिलाधिकारी, लखनऊ,                                  |
| 3- श्री आर०आर० शाह,       | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।                  |

अन्य उपस्थित

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1- श्री आर०के० सिंह,       | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण,             |
| 2- श्री लक्ष्मण०एच० काजमी, | मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, |
| 3- श्री एस०पी० गुप्ता,     | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।  |

-----

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-6-76 की कार्य-सूची  
की मद सं०-3, 4, 5, 6 जो वित्तीय वर्ष 1976-77 के बजट से सम्बन्धित है पर  
व्यापक विचार किया गया था और बजट के निम्न पहलुओं पर समीक्षा कर संस्तुति  
देने के लिये इस उपसमिति का गठन किया गया था । प्राधिकरण की उक्त बैठक  
के आधार पर इस उप समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर सविस्तार विमर्श किया :-

- 1- बजट में उतना ही ऋण प्राविधान किया जाये जितना कि वर्ष में  
उपयोग सम्भव हो,
- 2- प्रप्र व्यय पक्ष की भली-भांति विस्तृत रूप से समीक्षा की जाय,
- 3- उपसमिति यह धा देखे कि ऋणों के सामयिक भुगतान के लिये बजट में  
निश्चित रूपसे प्राविधान हो गया है । जहाँ तक अचुकित धनराशि  
जो 79-00 लाख बताई जाती है का प्रश्न है, उसके लिये रिशेड्यूल  
आदि के लिये समिति को विस्तृत विचार करना होगा अथवा  
सम्बोद्धित ऋण से बने भवनों के अनास्रिक होने की दशा में उनमें  
विक्रय की प्रस्तावना की जा सकती है,
- 4- कार्य-सूची की मद संख्या 4, 5, 6 के लिये समिति देखे कि स्टाफ  
पैटर्न पर अखिठान की मांग की गयी है इसके वेतन आदि में  
भिन्नता अथवा असमानता न हो और उसे परिच्ययों के लिये बजट  
में स्पष्ट उपबन्ध रखा जाय,
- 5- उप-समिति फर्नीचर, स्टाफ आदि के परिच्यय को बारीकी से  
देखेगी और मार्ग मित्र्ययता को ध्यान में रखते हुए कम-कम

क्रमशः

सामान की खरीदने की अनुमति करेगी। जैसे स्टील के अलमीन कुर्सी आदि अच्छी क्वालिटी एवं उंचे दामों की खरीदना आवश्यक नहीं है इसके स्थान पर सस्ती के कम दामों की खरीदना आवश्यक नहीं है इसके स्थान पर सस्ती के कम दामों के फर्नीचर से काम चल सकता है, इसी तरह कम दामों की स्टेशरी जैसे सस्ते किस्म के फर्निचर तथा सिपमफे आदि ब्रय किये जा सकते हैं,

- 6- लाइब्रेरी के फर्नीचर के प्राविधान का पूर्ण मित्ययता के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा लोहे की अलमारियों के स्थान पर सस्ती की अलमारी तथा कम दाम के फर्नीचर पर विचार करना होगा।
- 7- कुस के ब्रय हेतु जो प्राविधान किया गया है उस पर भी विशेष समीक्षा की आवश्यकता है तथा मित्ययता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक है।

विशेष नोट ने मुख्य लेखाधिकारी से यह जानकारी चाही कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत ही मदों में प्राविधान किये गये हैं अथवा नहीं? मुख्य लेखा अधिकारी ने सूचित किया कि यह प्राविधान नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत ही किये गये हैं। तत्पश्चात् विशेष सचिव महोदय ने

ने आय-व्यय का सारांश देखा तथा विभिन्न विभागों के विभिन्न लेखों में दर्शित धनराशि के बारे में उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी महोदय ने विचार विमर्श किया तथा प्रत्येक मदों में दर्शित आय की समीक्षा की तथा उनसे सहमति प्रकट की। आवास निधि की आय से कुछ अंश सामान्य निधि में स्थानान्तरित करना चाहिए इस अंश का निर्धारण उपाध्यक्ष द्वारा किया जाये।

1- विकास प्राधिकरण दिनांक 15-6-76 द्वारा निर्दिष्ट बिन्दु एक पर उप-समिति ने विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया तथा उपाध्यक्ष ने आय के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्क्स प्रोग्रामों को देखते हुए ही प्राविधान किये गये हैं, परन्तु यहाँ यह देखना आवश्यक है कि जिन नये पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है वे उपलब्ध करा दिये जाये तभी वर्क्स प्रोग्राम सफलभूत हो सकते हैं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए उप-समिति ने अनुमति दी कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के बजट में डिवेन्चर्स अथवा बुक - लोन्स द्वारा उतनी ही आय का उपलब्ध किया जाये, जितना कि गतवर्ष को देखते हुए आशातीत हो और उसका उपयोग सम्भावित हो।

2- खर्चा 79-00 लाख के ऋण प्रतिदान के सम्बन्ध में उप-समिति ने यह विचार प्रकट किया कि पुराने अचुकित धनराशि में से चालू वर्ष की किरतों के साथ एक वर्ष डिप्लट की किरतों के भुगतान का उपलब्ध प्रस्तुत में रखा जाय। इस

वेधन करे करने के लिये उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाय कि वे अन्य आय-  
करों से आवश्यक समायोजन करवे करलें । इस प्रकार ऋणों की रिशिड्यू-  
लिंग करने के लिए 10 वर्ष का समय रखने का प्रयास किया जाना चाहिए । उप  
समिति ने अनुशांसा की कि रिशिड्यूलिंग बनाकर विकास प्राधिकरण के समक्ष रखा  
जाय तथा मूल बजट में करेन्ट पेमेन्ट का प्राविधान रखा जाय । इस सम्बन्ध में  
उपाध्यक्ष ने बताया कि करेन्ट पेमेन्ट का प्राविधान रखा दिया गया है ।

3- कार्य-सूची की मद संख्या 4 जो कानपुर रोड पर नगर प्रसार योजना  
के सम्पादन हेतु भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा पूरा यूनिट खनन विकास प्राधि-  
करण में खोले जाने के सम्बन्ध में उप समिति ने व्यापक रूप से विचार किया तथा  
अनुशांसा की कि इस खण्ड को स्थापना हेतु शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न  
के आधार पर की जाय तथा बजट प्राविधान इस वर्ष के बजट में कर लिया जाय।

कार्य - सूची की मद संख्या 5 जो कानपुर रोड नगर प्रसार योजना  
को भूमि को शीघ्र अर्जन किये जाने तथा विकास हेतु एक एल०ए०डी० डिवीजन  
हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में है पर भी उप-समिति ने व्यापक रूप से विचार  
किया । इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस खण्ड के स्थापना  
हेतु नये प्रस्तावित पदों का सृजन तथा उनके प्रति बजट में प्राविधान नितान्त  
आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जो भी वर्क्स प्रोग्राम  
बनाये गये है उनकी सफलता सम्भव न हो सकेगी । उप समिति ने विस्तृत रूप  
से जाँच एवं विचार विमर्श के उपरान्त यह निगोय लिया कि उपरोक्त योजना  
को भूमि के अर्जन एवं विकास कार्य के संचालन के लिये एक नये डिवीजन के खोलने  
के सम्बन्ध में बजट में निम्न प्रकार से प्राविधान किया जाना चाहिए, और  
निसुम्ति स्वीकृति के उपरान्त यथावश्यक की जानी चाहिए :-

	<u>मूल प्रस्तावना</u>	<u>अनुशांसा</u>
1- अधिशासी अभियन्ता	1	1 पद
2- सहायक अभियन्ता	4	3 पद
3- अवर अभियन्ता	16	12 पद
4- प्रधान लिपिक	1	1 पद
5- प्रथम श्रेणी लिपिक	2	2 पद
6- द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	2 पद
7- टर्कर लिपिक	1	1 पद
8- आर्गु लिपिक	1	1 पद
9- सर्वेयर	-	1 पद
10- चपरासी	5	3 पद (कार्यालय-1) (मुद्रणी - 1) (चौकीदार-1)

मद संख्या ६ जो अलीगंज योजना में उच्च वर्ग के १०० भवन, मध्यम वर्ग के २५० भवन तथा निम्न आय वर्ग के ५०० भवनों के निर्माण हेतु एक अतिरिक्त आवेदन दिवसीय के खर्च करने के सम्बन्ध में व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद यह अनुमति दी गयी कि निम्नलिखित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर बजट में निम्न नये तथा स्वीकृति के उपरान्त ही नियुक्ति की जाये।

	मूल प्रस्तावना	अनुमति
१- अधिसूची अभियन्ता	१	१ पद
२- सहायक अभियन्ता	४	३ पद
३- लवर अभियन्ता	१६	१२ पद
४- प्रथम श्रेणी लिपिक	१	१ पद
५- प्रथम श्रेणी लिपिक	२	२ पद
६- द्वितीय श्रेणी लिपिक	२	२ पद
७- टंकर लिपिक	१	१ पद
८- अल्लिपिक	१	१ पद
९- सक्कर	-	१ पद
१०- चपरासी	५	३ पद

४- उप-समिति ने फर्नीचर के मद पर व्यापक रूप से विचार करते हुए अनुमति दी कि फर्नीचर की व्यवस्था नेस्ट गेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर हीना चालिये तथा लोहे के सामान के स्थान पर लकड़ी के सामान का प्रयुक्त किया जाता चालिये जो सस्ता है और उप समिति ने सामान की संख्या में भी कटौती करते हुए निम्नवत प्राविधान करने की अनुमति की :-

नाम- विभाग	मूल प्रस्तावना	उप समिति की अनुमति	बचत	विवरण
१- सामान्य प्रशासन एवं नियोजन	१,५०,०००-००	४६,८७५-८५	१,००,१२४-१५	(पृष्ठ १३ पर कटौती बजट व्यय मद १(३))
२- पुस्तकालय	८,६४३-८०	६,३१२-०२	२,३३१-७८	(पृष्ठ १२ पर कटौती बजट व्यय मद १-क(१))
३- भूमि एवं विकास आवेदन	७५,०००-००	१८,४५०-८५	५६,५४९-१५	(पृष्ठ १८ पर कटौती बजट मद ३(क२७३))
योग:-	२,३३,६४३-८०	७४,६३८-७२	१,५९,००५-०८	

रु० ७-०० लाख के बजट सामग्री आदि के प्रकीर्ण कार्यों हेतु किये गये उपबन्धों पर व्यापक रूप से विचार किया गया तथा निम्नलिखित मदों में आवश्यक संधान करते हुये निम्नलिखित उपबन्ध अनुमोदित किये गये।

१-	लेखन सामग्री	४०,०००।-
२-	अद्वारा पर व्यय	६,०००।-
३-	प्रचार व्यय	२५,०००।-
४-	कर्मचारियों की वर्दी पर व्यय	८,०००।-
५-	बन्ता की सुविधा के लिये वाटर क्लर	१०,०००।-
६-	भूमि भवन का पर व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	३०,०००।-

इसी प्रकार कर्मचारियों को दिये जाने वाले परिशो की धनराशि रूपया अमरुद १-२५ लाख के प्रकीर्ण मद संख्या १ व २ (३) में रखा गया है उसे नवीन मद १ व २ (३) (१) में रखा जाय और जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क-	भूमि एवं आवास हेतु	१,००,०००।-
ख-	मोटर साईकिल सहवान्स	२०,०००।-
ग-	साईकिल	५,०००।-

लेखन सामग्री के क्रय करने पर उप समिति का यह मत रहा कि यथासम्भव सस्ते किस्म के सामान से काम चलाया जाये । लीन तथा अधिष्ठान की पत्रा वतियां आन , का स्थायी रिकार्ड की चीजें हैं उनकी क्वाथम अन्टैड फाईल बकर में स थ रखना चाहिये । शेष , दैनिक पत्र व्यवहार की पत्रा वतियां के लिये फाईल बकर सरकारी पैटर्न पर होने चाहिये और सुपरिन्टैन्डेंट , स्टेशनरी एन्ड प्रिंटिंग उस्ता प्रदश शासन से प्राप्त करने का प्रय स करना चाहिये ।

५- प्राधिकारण के पुस्तकालय की स्थापना के लिये रूपया ५०,०००।- के बजट प्राविधान पर विचार करते हुये उप समिति द्वारा कटीती करते हुे विरायित लिया गया कि रूपया १५,०००।- की आवश्यक पुस्तकें, जिसमें सर्वेन ग्रीथ इनवियरमेन्ट नगर नियोजन वित्तीय , इन्जीनियरिंग , प्रासन्निक प्रबन्ध, आफिस मैनुअल,


फाइनेनशियल हेन्ड बुक्स तथा सेक्ट इत्यादि क्रय करने में प्राथमिकता देते हुे क्रय की जाये तथा फर्नीचर पर रूपया ६,५००।- तक का व्यय उपरोक्त नीति के अन्धन आधार पर किया जाये।

ह: आर० आर० शाह  
( आर० आर० शाह )  
उप-अध्यक्ष  
तस्नऊ सम- विकास प्रधिकरण,  
अध्यक्ष  
उप-समिति  
लखनऊ विकास प्राधिकरण


पत्रिका - 8 (अ)

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3-3-66 की मद संख्या

-8 के अन्तर्गत प्लानिंग विभाग के लिए पदों की पूर्णता के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि उपाध्यक्ष की माय से हुए प्रश्न पर सम्पूर्ण विवारी-पान्त अध्यक्ष महीदय आवश्यक पदों का पूर्णता का है। तदनुसार उपाध्यक्ष से भली पोषित विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष महीदय ने सन्तुष्टि सूची के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज तथा मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माण तथा प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न के आधारे पर विभिन्न पदों के पूर्णता की स्वीकृति प्रदान की है, किन्तु विकास प्राधिकरण की सफल योजनाएँ प्रभावित है।



( कै०पी०सिंह )

  
( पी०एम० राजपूत )

अतिरिक्त सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

विकास नगर निर्माण,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

प्लानिंग विंग के पद

<u>पद नाम</u>	<u>पदों की संख्या</u>
१- आर्चीटेक्ट प्लानर	एक
२- इक्विवैलेंट आर्कीटेक्ट ( आर्कीटेक्ट-0210) आर्चीटेक्ट	एक
३- सहायक नगर नियोजक	दो
४- असिस्टेंट आर्चीटेक्ट	दो
५- जूनियर आर्चीटेक्ट	एक
६- रिसर्च आर्कीटेक्ट	एक
७- स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट	एक
८- आर्थिक प्लानिंग असिस्टेंट	दो
९- ड्राफ्ट्समैन (ग्रह पथम)	पांच
१०- फिजिकल सर्वे असिस्टेंट	दो
११- शीटिंग सर्वे असिस्टेंट	दो
१२- वैयक्तिक सहायक	एक
१३- ड्राफ्ट्समैन (ग्रेड द्वितीय)	चार
१४- वास्तु-लिपिक	एक
१५- क्लर्क कम टाईपिस्ट	बस
१६- टैक्स	तीन
१७- नील मुद्रक	एक
१८- मैप एवं रिपोर्ट प्रिन्टर	एक
१९- ड्राइवर	दो
२०- मोटर्स सर्विसर	चार

अर्थात्

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जून 1976 के मद संख्या 3 के साथ पठित मद संख्या 5 के संदर्भ में एक नये " लैन्ड एकोजीशन एण्ड डेवलपमेंट डिवीजन " की स्थापना हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट तथा शासन के विल्ल सचिव के प्रतिनिधि की उप समिति ने भली भांति विचार करके यह सस्तुति प्रस्तुत की, कि मूल प्रस्तावना में आशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित पदों का सृजन प्राधिकरण की योजनाओं के कार्यान्वयन के हित में आवश्यक है। कार्य हित में उप समिति को सस्तुति पर अध्यक्ष महोदय ने पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिन्हे प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पद नाम	मूल प्रस्तावना	अनुशांसा
1- अधिशासी अभियन्ता	1	1 पद
2- सहायक अभियन्ता	4	3 पद
3- अवर अभियन्ता	16	12 पद
4- प्रधान लिपिक	1	1 पद
5- प्रथम श्रेणी लिपिक	2	2 पद
6- द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	2 पद
7- टंकण लिपिक	1	1 पद
8- आशु लिपिक	1	1 पद
9- सर्वेयर	-	1 पद
10- चपरासी	5	3 पद (कार्यालय-1 अदालत - 1 चौकीदार - 1)

2- उपरोक्तानुसार ही प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 जून 1976 के मद संख्या 6 के संदर्भ में दो नये " हाससिंग डिवीजन " की स्थापना हेतु उप समिति ने के लिए निम्न पदों की सस्तुति की है जिनके सृजन की स्वीकृति भी अध्यक्ष महोदय ने कार्यहित में प्रदान कर दी है और उसे पुष्टि हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है :

पद नाम	मूल प्रस्तावना	अनुशांसा
1- अधिशासी अभियन्ता	1	1 पद
2- सहायक अभियन्ता	4	3 पद

3-	अवर अभियन्ता	16	12 पद
4-	प्रधान लिपिक	1	1 पद
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	2 पद
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	2 पद
7-	टंक लिपिक	1	1 पद
8-	आशुलिपिक	1	1 पद
9-	सर्वेयर	—	1 पद
10-	चपरासी	5	3 पद

3- प्राधिकरण की दिनांक 15 जून 1976 की बैठक के मद संख्या 4 के संदर्भ में भी उप समिति ने भली भाँति विचार करके कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के सम्पादन हेतु भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा उसकी पूरी म्युनिट खोलने के लिए निम्नलिखित पदों के सृजनकी अनुशंसा की जिस पर अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे पुष्टि हेतु प्राधिकरण को समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है (विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शासन के राजस्व विभाग से तथा लिपिकीय कर्मचारों जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किये जायेंगे) -

पद नाम	पदों की संख्या
1- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	1
2- रोडर कम अहलमद	1
3- अहलमद	4
4- लिपिक	2
5- अमीन	7
6- चैनमैन	7
7- प्रासेस सर्वेयर	3
8- कार्यालय चपरासी	2
9- अर्दसी चपरासी	1
10- वाटर मैन कम चौकीदार	1

उपरोक्त पैरा एक व दो में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदों के वेतनमान शासकीय कर्मचारियों के लिए समकक्ष पदों के वेतनमान के बराबर रखना प्रस्तावित है

(प्रो. ना. वा. वा. वा.)  
अतिरिक्त सचिव

सखनऊ विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व नगर महापालिका के तत्कालीन विकास विभाग का सामान्य प्रशासन एवं अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य महापालिका के प्रधान कार्यालय द्वारा सम्पादित किया जाता था। विकास प्राधिकरण के गठन के बाद इस कार्य के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना कार्यरत में नितान्त आवश्यक है। यह कार्य अभी तक विकास प्राधिकरण के अन्य विभागों के लिपिकों को लेकर किसी प्रकार से चलाया जा रहा है किन्तु इन विभागों के कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को अपने विभाग में वापस भेजने पर बराबर जोर दिया जा रहा है और यह तर्कसंगत नहीं है। इसके साथ ही प्राधिकरण के कार्य कलापी में चतुर्मुखी बढ़ोत्तरी हॉन्स से सामान्य प्रशासन का कार्य भी बढ़ता जा रहा है और उसके विधिवत् स्थापित किये बिना काम को वर्तमान स्तर तक स्पष्ट से चलाना सम्भव नहीं जान पड़ता है। अतः अतिरिक्त और पूरा ध्यान रखते हुए, सम्प्रति केवल दो प्रथम श्रेणी लिपिक एवं पाँच द्वितीय श्रेणी लिपिक के पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त उपाध्यक्ष, सचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक के निजी कार्यालयों में इस समय विभिन्न विभागों के जो लिपिक निम्न सूची के अनुसार कार्यरत है उनको विभागों में वापस भेजने पर दो प्रथम श्रेणी लिपिक तथा पाँच द्वितीय श्रेणी लिपिक के पदों का सृजन होना आवश्यक है जिसकी भी प्रस्तावना की जा रही है -

	<u>प्रथम श्रेणी लिपिक</u>	<u>द्वितीय श्रेणी लिपिक</u>
उपाध्यक्ष	1	-
सचिव	1	2
अतिरिक्त सचिव	-	1
मुख्य अभियन्ता	-	1
वरिष्ठ नगर नियोजक	-	1


3- विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 333-76 के मद संख्या 3 के अन्तर्गत विधि अधिकारी का एक पद सृजित किया गया है किन्तु विधि विभाग के स्थापित होने पर विधि अधिकारी के अधीन कोई स्टाफ अलग से स्वीकार नहीं किया गया है। चूँकि विधि अधिकारी की नियुक्ति निकट भविष्य में करना प्राधिकरण के लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए कार्यवाही की जा रही है अतः विधि विभाग के लिए भी एक प्रथम श्रेणी लिपिक एवं चार द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

सारांश में उपरोक्त प्रस्तावना के अनुसार ~~सिखनऊ~~ कुल पाँच प्रथम श्रेणी लिपिक एवं 11 द्वितीय श्रेणी के लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति आपेक्षित है।

मद संख्या 4(स) - भाग 2

विकास प्राधिकरण में सैनोग्राफर के पदों का वेतन मान 240-424 है। उपाध्यक्ष के सैनो के पद के लिये कोई अन्य वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है जो स्पष्ट होना चाहिए। शासन में विभागीय प्रधानों के सैनो का

वेतनमान 300-8-324-9-360-ई0बी0-10-440-ई0बी0-12-500 निर्धारित है । अतस्व यह प्रस्तावना की जाती है कि उपाध्यक्ष के लिये प्राधिकरण के स्टेनो के वर्तमान पदों से स्टाफ को इसी वेतनमान (300-500) में अपग्रेड का दिया गया है ।

  
(प्र० ना० वाजपेयी)  
अतिरिक्त सचिव

वि० प्र० के प्राधिकरण से है  
४० एम० एन० सि० व०  
सचिव

वेतनमान 300-8-324-9-360-ई0बी0-10-440-ई0बी0-12-500 निर्धारित है । अतस्व यह प्रस्तावना की जाती है कि उपाध्यक्ष के लिये प्राधिकरण के स्टेनो के वर्तमान पदों से स्टाफ को इसी वेतनमान (300-500) में अपग्रेड का दिया गया है ।

(प्र० ना० वाजपेयी)

AGENDA ITEM No. 5 : ENFORCEMENT OF COLOUR SCHEME ON CITY EXPRESS  
HIGHWAY- PROPOSAL FOR CONSIDERATION OF AUTHORITY.

The Chief Secretary vide his O.M.No. 6842 4/11-4 dated November 11, '75, had desired that a suitable colour scheme be enforced on the facades of the buildings abutting the Express Highway from Anausi to the Secretariat. Consequently the High Powered Committee in its meeting dated 18th September 1976, has decided to take up enforcement of colour scheme on the stretch between Trilok Nath Road Crossing and Twin Sharda Canal. The High Powered Committee has laid down the following time schedule for this work and it is desired that the entire work should be completed by 26th January 1977 :-

1. Division of the area into three parts and colour selections .....	29.9.1976
2. Preparation and obtaining sanction of the detailed estimates for whole area .....	30.9.1976
3. Last date to serve notices to the occupiers ...	20.10.1976
4. Inviting tenders and granting approval .....	10.11.1976
5. Completion of work .....	26.1.1977

Consequently the entire stretch has been divided into three parts for which the estimates prepared by the Chief Engineer entail the following outlays:-

<u>Sl.No.</u>	<u>Stretch details</u>	<u>Outlay.</u>
1.	Trilok Nath Road Crossing to K.K.College	... Rs. 3,94,670-00
2.	K.K.College to Mowaiyya	... Rs. 3,66,300-00
3.	Mowaiyya to Singer Nagar (Twin Sharda Canal)	... Rs. 3,48,690-00

Copies of the estimates are being appended and are Appendixed at 'A'. A copy of the comparative rates as compared to the Hazratganj, Qaiser-Bagh and Aminabad is appended at 'B'.

Normally, since each of these estimates is less than Rs.10 lacs, it would not have required the assent of the authority. In case of Aminabad Colour Scheme a representation had been made to the then chairman about the rates and a copy of the letter of the Chairman is also enclosed at appendix 'C'. Consequently the Aminabad estimate

10-5 (Contd)

5

- 2 -

have been referred by me to the Government for scrutiny by appropriate technical authority.

These estimates are being submitted before the authority so that they may be considered and approved in the light of the above facts.

*R. R. Shah*

( R. R. Shah )  
Vice Chairman.

## विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:- आलमबाग शारदा कैनल से त्रिलोक नाथ रोड तक के मवनी के जगमाग की मरम्मत तथा रंगाई करने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश अवेन प्लानिंग एण्ड स्लॉपमेंट (संशोधन) अध्यादेश १९७५ की धारा १२-र(१) के अन्तर्गत अधिमौलियों के अन्तर्गत हाजरतगंज चौक, लालबाग चौक, तथा कसरबाग चौक में रंग रौपन का कार्य कराया जा चुका है एवं अमीनाबाद चौक में कार्य प्रगति पर है । आलमबाग में शारदा कैनल से त्रिलोकनाथ रोड तक स्थित मवनी के जगमाग की रंगाई एवं मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । यह कार्य अधिमौलियों के अन्तर्गत पर कराया जायेगा ।

तदनुसार सम्पूर्ण चौक की निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित कर उनके व्ययानुमान तैयार करा लिये गये हैं जिनकी धनराशि प्रत्येक भाग के सामने अंकित है :-

- |   |                |
|---|----------------|
| (१) सिंगारनगर से मवीया पुल तक           | रु० ३,४८,६६०।- |
| (२) मवीया पुल से कै० कै० कालेज तक       | रु० ३,६६,३००।- |
| (३) कै० कै० कालेज से त्रिलोक नाथ रोड तक | रु० ३,६४,६७०।- |

अतः उपरोक्त आख्या लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृताथ पस्तुत है ।

६० प्रेमनाथ मिश्र  
१३-१०-७६  
नगर अभियन्ता (विकास)

कृपया विज्ञाप्य को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें ।

मुख्य अभियन्ता

Amount of Estimate Rs. 3,48,690.00 ( Rs. Three Lacs forty eight thousand and six hundred ninety only.

Name of work : Repairing of plaster and painting from Sranganagar to Mawaliya.

Sl.No.	Description of work Qty.	Rate	Amount
1.	7000 Sq.M Repair to plaster of $\frac{1}{2}$ " thick plaster with cement and coarse sand and local sand in ratio of 1:1:3 in patches including removal of old plaster racking out joints to 1 cm ( $\frac{3}{8}$ " ) depth matching the area and then replastering including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed at the average ht. of 20'-35'	3.96 Sq.M	27,720.00 555.00
2.	43,300 Sq.M Scraping old white colour wash including disposal of refuse as directed by the Engineer Incharge within a distance of 200' (60m) complete as per direction of Engineer Incharge. Add 2% extra as the work is to be executed at an average ht. of 20'-35' .	0.12 Sq.M	5,196.00 104.00
3.	50,300 Sq.M Finishing walls with water proof cement paint of approved make and quality on new work with three coats to give an even shade including supply of all material T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on average ht. of 20'-35'	3.15 Sq.M	1,58,445.00
4.	10,050 Sq.M Removing paint remover or with caustic soda including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra of the work is to be executed on an average ht. of 20'-35'	0.45 Sq.M	4,523.00 91.00

5. 10,050 Sq.M	Painting or varnishing iron work in small or as or wood work with one coat of ready mixed primary paint and one coat of approved super quality ready mixed paint and one coat of synthetic enamel paint including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work.	3.70 Sq.M	37,185.00 744.00
	Add 2% extra as the work is to be executed on an average ht. of 20'-35'		
6. 6 Cu.M	First class brick work 1:4 cement and local sand mortar including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on an average ht. of 20'-35'	85.35 Cu.M	513.00 11.00
7. 100 Sq.M	Flush pointing with 1:2 cement and local sand mortar including supply of all material labour T & P etc. required for proper completion of the work.	2.55 Sq.M	255.00 6.00
	Add 2% extra as the work is to be executed on average ht. of 20'-35'		
8. 50 Rlt.	Ruled pointing with 1:2 cement and local sand mortar including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on average ht. of 20'-35'	2.95 Sq.M	148.00 3.00
	Add net appreciation on Material & Labour.		2,38,658.00
	Add 3% contingency		93,220.00
	Add 2% work charge		3,31,888.00
			9,956.00
			6,836.90
			<u>3,48,681.90</u>

Sd/- V. C. M. (Signature)

Sd/- P. M. Sharma  
M. A. R. (Signature)

Amount of Estimate Rs. 3,66,300/- ( Rs. Three lacs sixty six thousand and three hundred only)

Name of Work Repairing of Plaster and painting from Mawaiya to Kenya Kubj College.

Sl.No.	Quantity	Item of works	Rate	Amount
1.	4500 Sq.M	Repair to plaster of $\frac{1}{2}$ " thick plaster with cement and coarse sand local in ratio of 1:1:3 in patches including removal of old plaster racking out joints to 1 cm ( $\frac{1}{8}$ " ) depth the area and replastering including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of work add 2% extra as the work is to be <del>excavated</del> <i>excavated</i> <i>average height</i> of 20'-35'.	3.96 Sq.M	Rs. 17,820.00 357.00
2.	48,338 Sq.M	Scraping of old white wash or colour wash including disposal of refuse as directed by the Engineer Incharge .Add 2% extra as the work is to be excavated at an average height of 20'-35'	0.12 Sq.M	Rs. 5,860.00 117.00
3.	53,338 Sq.M	Finishing of wall with water proof cement paint of approved make and new work with three coats to give an average shade including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work . Add 2% extra to the work is to be excavated at average height 20'-35'	3.15 Sq.M	Rs.1,68,015.00 3,360.00
4.	12,300 Sq.M	Removing paint or varnish with paint, removal with caustic soda including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work.	0.45 Sq.M	Rs. 5,535.00 111.00
5.	12,300 Sq.M	Painting or varnishing iron work in small areas or wood work with one coat of ready mixed primer paint and one coat of approved super quality mixed paint and one coat of synthetic enamel paint including supply of		

		all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be excavated on average height of 20'-35'	3.70 Sq.M	45,510.00 911.00
6.	4 Cu.M	1st class brick work in 1:4 cement and local sand mortar and supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on average ht. of 20'-35'.	85.35 Cu.M	342.00 69.00
7.	100 Cu.M	Flush pointing with 1:2 cement and local sand mortar including supply of all material labour T&P etc. required for proper comp. of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on average height of 20'-35'	2.55 Sq.M	255.00 6.00
8.	100 Sq.M	Ruled pointing with 1:2 cement and local sand mortar including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed an average ht. 20'-35'	2.95 Sq.M	295.00 59.00
		Net appreciation on Mat. and Labour as per detail attached.		2,48,612.00
		Add 3% contingency.		1,00,048.00
		Add 2% Work Charged		3,48,660.00
				10,460.00
				7,182.00
				<u>3,66,292.00</u>

Self- P.C. Nalwa

Say Rs. 3,66,300.00

Self- P. N. Sunka  
Nafe Akhaya (U/1503)

Amount of Estimate Rs. 3,94,670.00 ( Rs. Three lacs Ninety Four thousand Six hundred seventy only)

Name of work :- Repairing of plaster and painting from Kanya Kuber College to Trilok Nath Road Hazaratganj.

Sl.No.	Qty.	Item of works	Rate	Amount
1.	4500 Sq.M	Repair to plaster of $\frac{1}{2}$ " thick plaster with cement and coarse sand local sand in ratio of 1:1:3 in patches including removal of old plaster recking out joints to 1cm( $\frac{3}{8}$ " depth maintaining the area and then replastering including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed at an average ht. of 20'-35'	3.96 Sq.M	17,820.00
2.	58100 Sq.M	Scraping and white colour wash including disposal of <del>scraping</del> refuse as per direction of the Engineer Incharge within a distance of 200' (60m) complete as per direction of the Engineer Incharge. Add 2% extra as the work is to be executed at an average ht. of 20'-35'.	0.12 Sq.M	6,972.00
3.	62600 Sq.M	Finishing walls with water proof cement paint of approved work and quality of new with its three coat to give an even shade including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on an average ht. of 20'-35'	3.15 Sq.M	1,97,100.00
4.	10520 Sq.M	Removing paint or varnish with paint removal or with caustic soda including supply of all material labour T&P etc. required for proper completion of the work. Add 2% extra as the work is to be executed on an average ht. of 20'-35'	0.45 Sq.M	4,734.00

COMPARATIVE STATEMENT OF RATES OF COLOURING SCHEME

Item of works	Estimated rates based on analysis	Tendered rates of Hazarat Ganj	Tendered rates of Kaiser bagh	Tendered rates of Aminabad	Estimated rates of Alambagh area from Sherda Canal to Trilok Nath Road.
1	2	3	4	5	6
1. Scraping of white wash and colour wash.	Rs. 0.22	0.10	0.25	0.10	0.15
2. Finishing walls with three coats of water proof cement paint.	Rs. 3.86	4.50	4.30	4.10	4.54
3. Repair to plaster with 1:1:3 cement, coarse sand and local sand mortar.	Rs. 6.81	6.40	3.00	3.10	4.51
4. Pointing 3 coats with one coat of primary paint and two coats of oil paint.	Rs. 4.67	3.50	4.50	-	-
5. Removing of old paint and varnish etc. complete including scraping.	Rs. 0.72	0.10	0.60	0.30	0.51
6. Painting with one coat primary paint and two coats of high grade synthetic enamel paint.	Rs. 5.64	-	-	6.20	5.82
7. Flush pointing with cement and local sand 1:2 complete.	Rs. -	-	-	-	3.45
8. Ruled pointing with cement and local sand 1:2 complete.	Rs. -	-	-	-	3.91

प्रतिलिपि पत्र संख्या ४०८३।२१एम-११(७५-७६) १३-एलएस०जी०।दि० १०-५-७६  
प्रधान, श्री एस० ए० सरकार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ, सेवा में, उपाध्यक्ष, लखनऊ  
विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

विषय: लखनऊ महापालिका द्वारा रंगाई पुताई निमित्त अत्यधिक धन की वसूली ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या ३७।अमा०।सचि।वि०प्र०लि०दिनांक १५-४-७६  
१५-४-७६ के संदर्भ में निवेदन है कि आपके पत्र के साथ रंगाई पुताई की दरों के तुलनात्मक  
विवरण से ज्ञात होता है कि अमीनाबाद की दर हजरतगंज, कैसरबाग एवं लालबाग जो एक  
दूसरे से मिले हुए क्षेत्र हैं, की रंगाई पुताई की दर से बहुत अधिक है । इस सम्बन्ध में पुष्टित  
स्पष्टीकरण कि अमीनाबाद में पुताई का लकड़ी एवं लोहे का कार्य अधिक है तब संगत  
पुष्टित नहीं होता बर्या कि जी भी टैन्डर मांगे गये होंगे वह पुष्टित मीटर के हिसाब से  
मांगे गये होंगे न कि किसी भवन विशेष के लिए । इस प्रकार एक मीटर स्थान की  
पुताई पर चाहे हजरतगंज में पीता जाय चाहे अमीनाबाद में, पैदावार प्रत्यः समान लागत  
लागा । हमारे अतिरिक्त यह भी सम्भव नहीं कि अमीनाबाद में सारे भवनों में लकड़ी एवं  
लोहे का भाग अधिक हो जिससे प्रत्यः सभी भवन मास्टरों को एक दर में चांजें लिए जायें ।  
अतः आप इन सभी पहलुओं पर पुनः विचार कर लें तथा अपनी स्पष्ट आख्या मांगते से  
सम्बन्धित अभिलेखी सहित औद्यु मैजें ।

लखनऊ मजिस्ट्रेट इसी सियेशन के सयोजक ने मुझे यह भी बताया है कि अमीनाबाद  
में भवनों के निचले भाग में रहने वालों से ऊपर के Occupants को premises के  
रंगाई पुताई कार्य का एक अंश व्यय भी वसूल किया जा रहा है । नीचे के Occupants  
से ऊपर के लिए गए कार्य पर हुए व्यय का कोई भी अंश देने की मांग न्याय संगत नहीं  
पुष्टित होती है । अतः ऐसा न किया जाय । जिस Occupants का जितना बर्ग फीट  
कार्य किया जाय उससे उतने ही दायरफल का निर्धारित दर से मांग की जाय । निर्धारित  
दर नहीं ही इस विषय में ऊपर उल्लिखित पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित  
निर्णय लिया जाय ।

भवदीय

विकास प्राधिकरण के विचाराय आख्या

विभाग: अभियन्त्रण विकास विभाग

विषय: हजरतगंज स्थित पुराने हाकखाने के प्रांगण में आधुनिक व्यवसायिक केंद्र का निर्माण ।

सारांश: लखनऊ नगर में कामर्शियल का मॉलैसज की कमी को दूर करने हेतु इन्टीग्रेटेड सिटी अवेन डवलपमेंट प्लान वर्ष १९७६-८१ के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ७८१-८१ लाख रुपये की योजना रखी है । पुराने हाकखाने हजरतगंज के प्रांगण में कामर्शियल का मॉलैसज बनाने की एक योजना जिसकी अनुमानित लागत रुपये १-१६ करोड़ है निर्मित की गई है । इस योजना की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया में जा गया था ।

बैंक द्वारा ६५ लाख का ऋण राज्य सरकार की गारन्टी तथा पुराने हाकखाने की भूमि एवं पवन को बंधक रखकर स्वीकृत किया गया है । शासन ने इस योजनाके कार्यान्वयन हेतु पुराने हाकखाने की की० ५-६-४-१० नज़र भूमि प्राधिकरण के फटा में रुपये १।- वार्षिक टॉर्न प्रीमियम पर शासकीय आदेश संख्या १४५०ना।६-२-४५८ना।७४ दिनांक २६ अप्रैल, १९७५ द्वारा हस्तांतरित कर दिया है । शासन से इस योजना हेतु बैंक गारन्टी में जाने का अनुरोध निरंतर किया गया । अधशासकीय पत्र संख्या ३७४३। ३७-१-१५ यू० डी० ।७४ दिनांक २०-३-७६ द्वारा शासन ने यह सूचित किया है कि जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण लिखित अंडरटेकिंग की प्रस्तावित गारन्टी के हनवोक की स्थित प्राधिकरण नहीं आने देगी और यह नियमित रूप से निश्चित समय पर ऋण का व्याज सहित भुगतान करती रहेगी नहीं देती है तब तक शासन द्वारा उसे गारन्टी देना सम्भव न होगा ।

यहां यह उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि योजना का केश फलौ केवल योजना में बनी दुकानों के शिरोधार्य पर ही आधारित है तथा उसी की आय से बैंक द्वारा दिये गये ऋण एवं व्याज का भुगतान पूर्ण हो जावेगा । इस योजना में बनने वाली दुकानों के प्रीमियम से जो आय होगी वह एक प्रकार के स्टैंड बोर्ड के रूप में प्राधिकरण के पास रहेगी और यदि कमी भी ऐसा स्थित की प्रस्तावित गारन्टी के हनवोक की सम्भावना हो तो प्राधिकरण इन घन में ऋण एवं व्याज का भुगतान समय से कर सकेगा ।

अतः इस योजना हेतु शासन की गारन्टी प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण शासन को लिखित अंडरटेकिंग की प्रस्तावित गारन्टी से हनवोक की स्थित विकास प्राधिकरण नहीं आने देगी और वह नियमित रूप से समय पर ऋण का व्याज सहित भुगतान करती रहेगी, से सम्बन्धित विषय प्राधिकरण के विचाराय एवं स्वीकृताय प्रस्तुत है ।

हस्ताक्षर सह-प्रमुख, ज.स. -  
शुभम प्रियन्ता

हस्ताक्षर - प्रमुख, सि.स. -  
नगर अभियन्ता (विकास)  
१०-१०-७६

विकास प्राधिकरण के विचाराय जाख्या

विभाग: अभियन्त्रण विकास विभाग

विषय: पाण्डे का तालाब योजना तथा क्वीला मल्का जहाँ योजना में अल्प आय वर्गीय योजना के अन्तर्गत 800 भवनों के निर्माणार्थ कृपा प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

विवरण

गाराश: लखनऊ नगर में भवनों की काफी कमी है। इन्टीग्रेटेड सिटी डेवलपमेंट प्लान 1966-71 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को 1,60,000 भवन बनाने हैं जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 5000, अल्प आय वर्ग के लिए 2000, मध्य आय वर्ग के लिए 750, तथा उच्च आय वर्ग के लिए 250 एवं 750 साइट्स एवं सर्विसेज के मूखण्ड तैयार करने हैं। वर्ष 1966-67 में अल्प आय वर्ग के अधीन 500 भवन बनाने प्रस्तावित है। इसके लिये इस वर्ष के बजट में रुपया 65-00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस ध्यान में रखते हुये पाण्डे का तालाब तथा क्वीला मल्का जहाँ योजना में 800 भवनों के निर्माण की एक योजना हुस्को से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत 200 भवन क्वीला मल्का जहाँ में तथा 142 भवन पाण्डे का तालाब योजना में निर्मित होना प्रस्तावित है। इन भवनों की डिजाइन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से प्राप्त की गयी है। प्रत्येक भवन का प्लैन्थ एरिया 850 वर्गफुट है। योजना की अनुमानित लागत रुपया 109-93 लाख है जिसमें भूमि तथा भवन की कीमत तथा 10 प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तथा सुपरवाइजरि चार्ज एवं निर्माण के समय व्यय तथा हुस्को को दिये व्यय सम्मिलित है।

इस योजना के अन्तर्गत 12-15 लाख का कृपा हुस्को से लिया जाना प्रस्तावित है एवं प्लान की विषय मूल्य लगभग रुपया 10000/- है। प्रत्येक भवन के निर्माण की लागत रुपया 13500/- है जो 30/- रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से आती है। इस योजना के अन्तर्गत यह भवन 60 आसान त्रैमासिक किश्तों पर किया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्राथम पत्र के साथ रुपया 10000/-, प्रथम किश्त के रूप में रुपया 8000/- तदुपरान्त 3521/- रुपयों की 54 त्रैमासिक किश्तें प्राप्त की जावेंगी। इस प्रकार 15 वर्षों के उपरान्त इस योजना से विकास प्राधिकरण को लगभग 15-16 लाख रुपयों का लाभ होगा जो कि अन्य भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाओं में लाया जायेगा।

अतः पाण्डे का तालाब व तथा क्वीला मल्का जहाँ योजना में 800 अल्प आय वर्गीय भवनों के निर्माण की योजना जिसकी अनुमानित लागत रुपया 109-93 लाख है के अन्तर्गत हुस्को से 12-15 लाख रुपयों का कृपा प्राप्त करने तथा राज्य सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान की है। विषय विकास प्राधिकरण के विचाराय तथा स्वीकृताय प्रस्तुत है।

हो एम० पी० गुप्ता  
मुख्य अभियन्ता

हो पी० एन० सिन्हा  
नगर अभियन्ता विकास

पद संख्या: ८

जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवासीय समस्या जटिल होती जा रही है। लखनऊ नगर की जनसंख्या में पिछले २ दशक में काफी वृद्धि हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अरबन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सन १९७६ से १९८१ तक १६,७५० भवनों के निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जिसके अन्तर्गत समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिए ५००० भवन, निम्न आय वर्गों के लिए २००० भवन मध्यम आय वर्गों के लिए ७५० भवन तथा उच्च आय वर्गों के लिए २५० भवन तथा ८,७५० प्लॉट साइट एण्ड सर्विसेज के साथ बनने का प्रस्ताव किया है। सन १९७६-७७ में राज्य सरकार ने १०० उच्च आय वर्गों तथा १०० मध्यम आय वर्गों के भवन सरकारी अधिकारियों की आवास समस्या को हल करने हेतु निर्माण करना प्रस्तावित किया है। मध्यम आय वर्गों के जी भवन बनने हैं उनमें प्रत्येक भवन का क्षेत्रफल १०५८ वर्ग फुट है और निर्माण लागत ३७७००/- है जिसके अनुपात यह लागत लगभग ३५ प्रतिशत प्रतिवर्ग फुट के दर से आती है। गृहमिनिस्टरिज चार्जज तथा भूमि का मूल्य लेने पर प्रत्येक भवन का मूल्य रुपया ५१,०००/- आता है। इन भवनों के डिजाइन, आदि का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है और कुल लागत ५१,००,०००/- रुपये जी ह्य माह तक मिल जाने की सम्भावना है। इन भवनों के निर्माण के लिए टेन्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं। आशा की जाती है कि निर्माण कार्य ह्य माह के अन्त तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उच्च आय वर्गों के लिए राज्य सरकार ने लगभग ८०,०००/- प्रति भवन की दर से १०० भवन बनाने के लिए कहा है। इन भवनों का प्लान भी राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है और प्रत्येक भवन के लिये ८० हजार से ७२ हजार रुपये तक के निर्माण के लिए सहमति भी प्रदान कर दी है। इन भवनों का घिलिन्थ एरिया १६४४ वर्ग फुट है और लागत लगभग ३८/- रुपये प्रति वर्ग फुट आयेगी। इन भवनों के विस्तृत आगणन तैयार किये जा रहे हैं और टेन्डर मांग कर नवम्बर माह के अन्त तक का प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उपरोक्त विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण का सूचनाएँ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

डॉ. आर. एन. त्रिवेदी  
सचिव

डॉ. सुसोनी गुप्ता  
10-10-76  
मुख्य अधिकारी

sd/- 10/10/76  
आ. आ. (आवासीय)  
9-10-76

मद संख्या: ६

आवासीय समस्या को हल करने हेतु सिटी डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत जी १६७५० भवन ५ वर्गों में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है उसमें ७५० भवन मध्यम वर्ग आय के लिये निर्माण किये जायेंगे। इस वर्ग लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने बजट में २५० मध्यम आय वर्ग के मकान निर्माण किये जाने का प्राविधान किया है और इसके लिये ८४-०० लाख रुपया मद संख्या ३६-३१-२ में रखे गये हैं। इन २५० भवनों में १०० भवन राज्य सरकार के लिये रुपया ५१-०० लाख रुपये की लागत से बनाये जा रहे हैं। शेष १०० भवन का निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त रुपया २५-०० लाख के ऋण से किया जावेगा। इन भवनों का प्लान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, द्वारा तैयार किया गया है और प्रत्येक भवन का प्लान्थ रेंजिया लगभग ८०० वर्ग फुट है तथा प्रत्येक की लागत २६६८०/- रु० है जो प्रति वर्ग फुट रुपया ३७-०० आती है। इन भवनों के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त कर लिये गये हैं और आशा की जाती है कि निर्माण कार्य इस माह के अन्त तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उपरोक्त विषय विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ड०/ सस०या०गता अ०अ० (आवास)  
10-10-76  
मुख्य अभियंता 9/1/76

पद संख्या: १०

लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस वर्ष लगभग ६ करोड़ रुपये के विकास एवं पवन निर्माण के कार्य कराये जाने हैं। इन कार्यों के लिये अनुभवी तथा बड़े ठेकेदार इस कारण निविदा नहीं दे पाते होंगे कि विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध करते समय ५ प्रतिशत पिक्योरिटी मनी ली जाती है। बड़े कार्यों के लिये हाउसिंग बोर्ड, कानपुर विकास प्राधिकरण, देहली विकास प्राधिकरण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में केवल २ प्रतिशत पिक्योरिटी पर अनुबन्ध कराया जाता है। और शेष ८ प्रतिशत पिक्योरिटी चालू बिलों से कटौती कर ली जाती है। यह अनुशासना की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी यही प्रक्रिया अपनाने की स्वीकृत पदान करने की कृपा की जाये। ताकि टेन्डर अधिक ठेकेदार दे सकें और उनमें अधिक कम्पटीशन ही सकें।

अतः विषय प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।


Sd/- S. P. Gupta  
30/3/76  
10/10/76

Sd/- B. N. Lal  
अधिसायी अभियन्ता (आवास)

मद संख्या - ११

विकास प्राधिकरण एक विकासोन्मुख संस्था है जहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की बहुत आवश्यकता है ताकि संस्था की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे साथ ही साथ एक स्तर तक के अधिष्ठान सम्बन्धी पहले उपाध्यक्ष के स्तर पर ही निर्णित हो सके इस हेतु निम्नांकित सुझाव है :-

- १- विकास प्राधिकरण के लिए आवश्यकतानुसार लिपिकीय तथा अन्य *non managerial* पदों का सृजन व नियुक्ति - उपाध्यक्ष करें,
- २- बढ़ते हुये काम की दृष्टिकोण से रखते हुए नए आवासीय व विकास अभियन्त्रण डिप्टी जनरल का सृजन । इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० डी० द्वारा अपनाए जा रहे मानक के आधार पर प्रत्येक ४०-५० लाख रूपया के मूल्य के कार्य पर एक डिप्टी जनरल का सृजन किया जाना प्रस्तावित है - अध्यक्ष । उपाध्यक्ष करें ।

  
( आर०एन० त्रिवेदी )  
सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण।